GOVERNMENT BILL

The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Amendment Bill, 2013

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Amendment Act, 1959.

The question was put and the motion was adopted.

Sir, I introduce the Bill.

SHORT DURATION DISCUSSION

Situation arising out of atrocities and social exploitation of women and children in the country

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up Short Duration Discussion.

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : धन्यवाद, उपसभापति जी। उपसभापति जी, 16 दिसम्बर, 2012 को हुआ दामिनी का गैंग रेप समाज और सरकार. दोनों के लिए काफी विचलित करने वाला था। उसकी चर्चा हमने इस सदन में की और एक ऐन्टी रेप बिल भी पास किया, लेकिन कुछ ही माह के बाद पुन: 15 अप्रैल, 2013 का गांधी नगर की घटना ने पूरी दिल्ली को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को झकझोर रख दिया। उपसभापति जी, जब हम सुनते हैं कि बच्ची के पेट से बोतल और कैंडिल निकला है, तो हमारी भी रूह कांपने लग जाती है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, शब्दों का अभाव होता है और हम सोच में पड जाते हैं कि आज हम लोग कैसे वहशीपन से गुजर रहे हैं, हमारे दिमाग पर कैसी हैवानियत है? दिल्ली पुलिस की कार्य और कार्यवाही, दोनों पर प्रश्नचिन्ह उठता है। केन्द्र की सरकार दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है और गृह मंत्री जी मेरे सामने बैठे हैं। उस दिन ऐन्टी रेप बिल के समय आपने देश को, देश की महिलाओं और बच्चियों को आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद ये सब घटनाएं हुईं। पहले तो बच्ची के लापता होने पर जांच में लापरवाही बरती गई और उसके बाद फिर जब पता चला, तो उसे कम सुविधा वाले अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बच्ची की हालत को देख कर डॉक्टरों का भी दिल दहल गया। जिस लडकी ने बच्ची को एम्स में शिफ्ट करने का मामला उठाया, उस लड़की को वहां के एसीपी ने ऐसा थप्पड़ मारा कि उसके कान से खून निकलने लगा। इसके साथ ही साथ, बच्ची के पिता को दो हजार रुपए देकर उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहा जाता है, यह कितने शर्म की बात है? मुझे अफसोस इस बात का है कि हमने राष्ट्रीय महिला आयोग इसलिए बनाया था कि वह पीड़िता के लिए सहारा बने और अन्यायियों के लिए खोफ साबित हो, लेकिन महिला आयोग की अध्यक्षा कहती हैं कि महिला सुरक्षा में दिल्ली पुलिस पूरी तरह नाकाम रही है और केन्द्र को इस मसले पर कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। यूपीए की जो हमारी चेयरपर्सन है, वे कहती हैं कि बातों से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई की जरूरत है, कार्रवाई की जरूरत है और हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि महिला सुरक्षा के लिए बड़े बदलाव की जरूरत है।

उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ और यूपीए सरकार से मेरा यह सवाल है कि सत्ता में कौन है और ये सब कदम कौन उठाएगा?

आज महिलाएँ और बच्चियाँ घर, पड़ोस, रिश्तेदार, स्कूल, ट्रेन, बस, सड़क, बाजार, कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। बच्चियाँ कह रही हैं कि हमें स्कूल जाने में डर लगता है, काम पर जाने में डर लगता है। हमने यह कैसा माहौल पूरी दिल्ली में पैदा कर दिया है? मेरा यूपीए सरकार से आग्रह है कि आप बदलाव के बड़े कदम उठाएँ, सख्त कदम उठाएँ, पूरा देश आपका साथ देगा और इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सब आपके साथ हैं।

में आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि एंटी रेप बिल पर बोलते समय मैंने आपसे पूछा था कि आपने कानून तो बना दिया है, लेकिन क्या लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास पर्याप्त मैनपावर है, जो पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दे सकें? वे पीड़ित परिवार को दो हजार रुपये देकर मुँह बन्द कराने वाली सुरक्षा न दें, बिल्क महिलाओं को वे ऐसी निष्पक्ष सुरक्षा दें, जिन पर वे विश्वास करें। इसलिए, मैं यह कहना चाहूँगी कि ऐसे पैशाचिक दुष्कर्म को करने वाले को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए और हमें झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। जब यह साबित हो गया है और उस व्यक्ति ने खुद यह स्वीकार कर लिया है कि उसने यह कृत्य किया है और हमें पता है, इसके बावजूद यह केस दर्ज होगा, उसकी जाँच होगी और कोर्ट में केस चलेगा, तो यह जो लम्बा प्रोसीजर चलता है, उसको हटा कर तुरंत उस व्यक्ति को फाँसी की, मौत की सज़ा दी जानी चाहिए।

इसके साथ-साथ, मैंने आज का अखबार पढ़ा, तो उसमें दिल्ली के भलस्वा डेरी इलाके की एक घटना का जिक्र है, जिसमें एक अन्य सात साल की बच्ची के साथ इसी तरीके की घटना फिर घट गयी है और पुलिस ने उसे मामले को दर्ज करने में आनाकानी की है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को मौत की सज़ा दी जाए। जो अभी नया बलात्कार विरोधी कानून बना है, उसे और कड़ा किया जाए और अगर किसी बच्ची के साथ इस तरीके की घटना घटती है, तो इसके लिए इस कानून में मृत्यु का प्रावधान भी जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद, हमें लम्बी प्रक्रिया में न उलझ कर उसे उसी वक्त सख्त से सख्त सज़ा, फाँसी की सज़ा देनी चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगी कि इस मामले में आप तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलाएँ, ताकि इस पर आम सहमति बन सके।

इसके साथ ही, मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस के ऊपर उसके कार्य और कार्रवाही को लेकर उंगलियाँ उठ रही हैं। इस तरीके की घटनाओं की रिपोर्ट थानों में समय पर दर्ज नहीं की जाती है और अगर दर्ज की जाती है, तो उन पर दबाव डाला जाता है, तो इसके लिए किसी को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से पूछूँगी कि उसके ऊपर वे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं?

मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि संसद का काम केवल कानून बना कर अपने कर्तव्य की इतिश्री करना नहीं है, बल्कि इसका काम यह देखना भी है कि उस कानून का क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है या नहीं। यह कानून विकृत मानसिकता रखने वालों की रूह को तभी कंपाएगा और उनमें डर एवं भय तभी पैदा करेगा, जब उनको यह लगेगा कि हमारे अपराध को तुरंत ही संज्ञान में लिया जाएगा और हमें मृत्यु दंड की सज़ा मिलेगी। इसलिए दोषी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम हर मासूम बच्चे को सुरक्षित बचपन दं, अगर हम नहीं दे सकते, तो फिर यहाँ सदन में क्यों बैठे हैं, हमें भी यहाँ से उठ कर चले जाना चाहिए।

महोदय, मैं केवल यहीं की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि पूरे देश में इस तरीके की घटनाएँ घट रही हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे वह राजस्थान हो, चाहे वह असम हो या चाहे वह अन्य [श्रीमती माया सिंह]

प्रदेश हो, लेकिन दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली में घटित घटना का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि कृपा करके आप इन बातों को गम्भीरता से लें। दोषी व्यक्ति को तुरंत सज़ा हो और वह सज़ा भी मृत्यु की सज़ा हो। यह कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान): सर, बहुत कम अरसे में ही हम फिर उसी मुद्दे को लेकर यहां सदन में चर्चा कर रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही अफसोस की बात है कि दामिनी का इतना बड़ा हादसा कुछ ही माह पूर्व दिल्ली में घटित हुआ था, इतना दर्दनाक हादसा जिसने पूरे देश को, दिल्ली को झकझोर दिया। इसमें सरकार को महसूस हुआ कि इस विषय में कोई गंभीर कानून बनाए जाने की और संशोधन किए जाने की जरूरत है। संशोधन भी हुए कुछ इफ एंड बट्स के साथ में, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है उसके बाद भी रेप के कांड बढ़े हैं। हम कहते हैं कि दिल्ली में अभी जो इस 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ, कितना दुखद है, कितना मार्मिक है, सौ बार की मौत से ज्यादा यह गंभीर गुनाह है। सर, यह कौन सा हत्या से कम है? छोटी बच्चियों से रेप या कहीं गैंग रेप कभी दिल्ली में, कभी छिंदबाड़ा में, जबलपुर में, आदिवासी क्षेत्र जितने हैं, उनमें मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं, जहां सारे रिकार्ड ही तोड़ दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जिस तरह आदिवासी क्षेत्रों में छोटी मासूम बच्चियों के साथ में चाहे पटना में, चाहे पंजाब में, असम में, गुजरात में हम सब इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों करें, ...(व्यवधान)...

श्रीमती माया सिंह : यह कौन कर रहा है? ...(व्यवधान)...

डा. प्रभा ठाकुर: सबसे पहले दिल्ली का नाम लिया ...(व्यवधान)...

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सबसे पहले हरियाणा में हुआ है, उसका भी बताइए। ...(व्यवधान)...

डा. प्रभा ठाकुर : आपका क्या मतलब है, आप हर बात में राजनीति करेंगे और हम खामोश रहेंगे। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)... One second, please. ...(Interruptions)...

डा. प्रभा ठाकुर: अगर मध्य प्रदेश में रेप हुआ है तो वह रेप नहीं है और दिल्ली में रेप हुआ है तो वह रेप है। रेप में भी क्या आप राजनीति करेंगे? छोटी बिच्चयों पर कुछ तो दया कीजिए, महिलाओं पर कुछ तो दया कीजिए। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Prabha Thakur, please. ...(Interruptions)...

डा. प्रभा ठाकुर : सब के घरों में बच्चियां हैं। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One second ... (Interruptions)...

श्रीमती माया सिंह : आपने मध्य प्रदेश की बात उठाई, तो मैं कहना चाहती हूं ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can reply later. ...(Interruptions)...

श्रीमती माया सिंह: वहां पर इतने केस इसलिए हैं कि वहां पुलिस द्वारा हर छोटे-मोटे केस को थाने में दर्ज किया जाता है ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mrs. Maya Singh, please. ... (Interruptions)...

श्रीमती माया सिंह : बहुत अफसोस की बात है डा. प्रभा टाकुर की। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is a subject on which every Member of this House, every section of the House wanted a discussion. They were so serious. The whole nation is concerned about it. Every Member is concerned about it. So, at least, in this discussion let there be no allegation. Let us discuss it and come out with a solution. Now an hon. Member from Assam mentioned about what happened in Assam. It is repeatedly happening. ...(Interruptions)... There has to be some solution. Let us have a positive and creative discussion. The House should also know that the discussion is on a subject which is wider. The discussion is on the situation arising out of atrocities and social exploitation of women and girl child in the country resulting in growing sense of insecurity in society. So, it encompasses all this. The understanding is that you may kindly discuss it, but, please avoid allegation. Don't try to bring politics into the discussion. Please.

डा. प्रभा ठाकुर: सर, हमने कोई एलिगेशन किसी पर नहीं लगाया है। हम भी यह कहते हैं कि आज अगर कोई मध्य प्रदेश से है तो वे बोलेंगे कि आप मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहीं हैं, आप दिल्ली की बात करिए। मैंने दिल्ली की घटना से ही तो अपनी बात शुरू की है। इस बलात्कार के मामले में भी अगर हम लोग भेदभाव करेंगे, राजनीति करेंगे तो ऊपर वाला हमें कभी माफ नहीं करेगा। हम जन्म भर यहां संसद में नहीं बैठे रहेंगे। हमें कुछ जनता को जवाब देना है, ऊपर वाले को भी जवाब देना है।

महोदय, सभी के घरों में बिच्चयां हैं और पूरे देश में एक दहशत फैली हुई है। सर, मध्य प्रदेश में अपराधी पकड़े तक नहीं जाते। सर, वे पकड़े जाएं और उन्हें सजा हो।

श्रीमती माया सिंह : एकदम गलत बात बोल रही हैं। ...(व्यवधान)...

डा. प्रभा टाकूर: दिल्ली में पकड़े तो गए हैं।

श्रीमती माया सिंह : प्रभा जी, गलत बयानबाजी मत कीजिए।

DR. NAJMA A. HEPTULLA (Madhya Pradesh): Sir, I have a point of order, it is, 'any allegation on the floor of the House should be substantiated.' She should give the example, in which case, in Madhya Pradesh, anywhere in the State, the culprits are not being arrested. Please give an example. ...(Interruptions)...

डा. प्रभा ठाकुर : आप मुझे बता दीजिए कि कहां अरैस्ट हुए? क्या जबलपुर वाले मामले में अपराधी अरैस्ट हुए हैं?

श्री एम. वेंकेया नायडु (कर्णाटक) : सर, आपने खुद आदेश दिया है कि किसी स्टेट का नाम नहीं लेना है, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है, फिर भी इन्होंने दोबारा आरोप लगाना शुरू कर दिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Prabhaji, don't make unfounded allegations. ...(Interruptions)...

डा. प्रभा ठाकुर: सर, किसी पर एलीगेशन नहीं है। यह बहुत अफसोस और दुख की बात है। क्या हम इस पर भी राजनीति कर रहे हैं?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't make such allegations. ...(*Interruptions*)... Raise the discussion to a high level.

खा. प्रभा ठाकुर: सर, गुजरात में भी ऐसा हादसा हुआ है, कहीं राजस्थान में भी हुआ होगा, यहां दिल्ली में भी हुआ है, सर, हम उन सब को कंडेम करते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अपील करना चाहती हूं कि ये गुनाह ऐसे बंद नहीं होंगे। अब गुनाहकारों के हौसले और बढ़ रहे हैं, और ज्यादा रेप हो रहे हैं। सर, चार-चार, पांच-पांच साल की मासूम बिच्चयों के साथ रेप हो रहे हैं। ऐसे में गुनाहगारों को सजा-ए-मोत क्यों नहीं होनी चाहिए? जो गेंग रेप करते हैं, उन्हें मृत्यु दंड क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं माननीय गृह मंत्री जी से अपील करना चाहूंगी कि आप इन दो तरह के मामलों में एक महीने की समय-सीमा निर्धारित करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाइए। इन दो तरह के मामलों में और कौन से सूबत की जरूरत है? ऐसे केसेज में तो लड़की की आइडेंटिफिकेशन ही बहुत है, उसका कहना ही काफी है कि यह रेपिस्ट है। चाहे गेंग रेप का मामला हो या बिच्चयों के साथ रेप का मामला हो, वहां मेडिकल एक्जॉमिनेशन और बच्ची का वक्तव्य काफी होना चाहिए और फास्ट कोर्ट में एक महीने के अंदर फैसला आना चाहिए। सर, ऐसे वहशी दिरेंदों को जीने का कोई हक नहीं है। उनको कड़ी मौत की सजा होनी चाहिए। मैंने पहले भी सदन में यह बात कही थी और आज भी बहुत दुख के साथ कह रही हूँ। आप उन माताओं से व पूरे देश की महिलाओं से पूछिए कि ऐसी माताओं पर क्या गुजरती है, जिनकी बिच्चयों के साथ ऐसा दुराचार होता है। वे मर-मर कर जीती हैं। आज यहां सब लोग जेपीसी पर अड़े हुए हैं। क्या बिच्चयों की सुरक्षा हमारी प्रॉयोरिटी नहीं है? आज जरूरत है कि हम एकजुट होकर कुछ करें, सारे दल मिलकर कुछ करें और अपराधी को मौत की सजा दिलवाएं।

सर, अगर कानून में एक छेद भी बाकी रह जाता है, तो उसमें से हाथी निकल जाता है। जब तक इस कानून में बिल्कुल स्पष्ट रूप से मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं होगा, तब तक ये अपराध नहीं रुकेंगे। आज ऐसे अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। उन्हें लगता है कि मृत्यु दंड तो होगा नहीं, क्या डर है? वे इस देश में बिच्चयों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी, आप सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस विषय पर विचार कीजिए और ऑर्डिनेंस द्वारा या किसी और तरह से जल्दी-से-जल्दी कानून बनाइए व आज हम सब की ओर देश की मांग पर ध्यान दीजिए। आप ऐसे अपराधों के लिए कड़ी-से-कड़ी सजा का प्रावधान कीजिए ताकि देश में जगह-जगह मासूम बिच्चयों के साथ हो रहे रेप तथा गैंग रेप के मामले रोके जाएं क्योंकि ऐसे अपराध सौ हत्यों से ज्यादा बड़े गुनाह हैं। इन्हें बंद करवाने के लिए आप कड़ी पहल कीजिए।

सुश्री मायावती (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापित जी, जैसा कि पूरे सदन को मालूम है कि देश में पिछले कुछ वर्षों से खासतौर से महिलाओं के ऊपर और उसमें भी जो मासूम बिच्चयां हैं, जिनकी उम्र चार साल या पांच साल के करीब है, उन पर बड़े पैमाने पर जुल्म-ज्यादती बढ़ी है और उनमें बलात्कार की घटनाओं में भी काफी वृद्धि हुई है। ऐसी घटनाओं को लेकर हमारी संसद काफी गंभीर हुई, पार्लियामेंट काफी गंभीर हुई और इस मामले को लेकर तो सभी दलों के नेताओं ने, चाहे राज्य सभा के अंदर मामला उठा हो या लोक सभा के अंदर मामला उठा हो, दोनों सदनों के सभी सदस्यों ने एक आवाज में यह कहा कि महिलाओं के साथ जो इस तरह की बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं या उत्पीड़न की वारदातें हो रही हैं, उनको रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। इसको लेकर कई बार सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें सब की यही राय बनी कि सख्त कानून बनना बनना चाहिए और बजट सत्र की पिछली बैठकों के दौरान महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए, खासतौर पर जो बलात्कार की वारदातें होती हैं, उनको रोकने के लिए सख्त कानून बना, जिस पर संसद की मोहर भी लगी, लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बावजूद भी महिलाओं के ऊपर होने वाली वारदातें. खासतौर पर बलात्कार की वारदातें देश में रुकी नहीं हैं।

उपसभापति जी, दिल्ली देश की राजधानी है। जब कभी यहां पर इस किस्म की, खासतीर पर बलात्कार की वारदात होती है, तो कैपिटल होने से जो यहां काफी तादात में मीडिया है, जिसकी पूरे देश पर नजर रहती है, उसके द्वारा बड़े पैमाने पर नोट लिया जाता है, पब्लिसिटी कर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जाता है। दिल्ली के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों में भी महिलाओं के ऊपर होने वाली उत्पीडन की घटनाएं रुकी नहीं हैं। इसलिए हमें दलगत राजनीति से उठकर इस विषय पर सोचना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि फलां स्टेट में फलां पार्टी का राज्य है, बल्कि हमें दलगत राजनीति से उठकर यह सोचना चाहिए कि देश के हर राज्य में इस तरह की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? चाहे वह राजस्थान हो, जैसे राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि अलवर के अंदर एक दलित, शेड्युल्ड कास्ट की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। जब उस पीड़िता के परिवार के लोग आरोपी लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, तो तीन दिन तक उनको टरकाया गया, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर जब तीन-चार दिन उन्होंने काफी एजीटेशन किया, तब उनकी एफआईआर दर्ज की गई। वह शेडचूल्ट कास्ट की लड़की थी, हालांकि किसी भी समाज की, किसी भी धर्म की लड़की हो, ऐसे मामलों में हमें धर्म व जाति को बीच में नहीं लाना चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि उसकी रिपोर्ट भी तीन-चार दिन के बाद लिखी गई। इसके साथ ही चाहे मध्य प्रदेश हो. चाहे छत्तीसगढ हो. चाहे महाराष्ट्र हो या कोई और राज्य हो. रिथति ऐसी ही है। इसी के साथ-साथ आबादी के हिसाब से जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहां तो महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों में एक तरह से बाढ़ सी आ गई है, अति हो गई है।

माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि कुछ दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ जब उसके मां-बाप रिपोर्ट लिखाने गए, तो पुलिस ने उस लड़की को ही थाने में बंद कर दिया। उसके परिवार के लोग चिल्लाते रहे, लेकिन पुलिस ने लड़की को नहीं छोड़ा। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना पड़ा और वहां की सरकार को नोटिस जारी करना पड़ा। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसी प्रकार की और भी बहुत सी वारदातें हैं। उत्त प्रदेश में तो महिलाओं के साथ अति हो गई है और हर मामले में वहां पर उत्पीड़न बढ़ रहा है। इसलिए हमारी पार्टी को मजबूर होकर उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से निवेदन करना पड़ा कि वे उत्तर प्रदेश की सही रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखें। इसके लिए उन्हें लिखित ज्ञापन भी दिया गया और यह मांग भी की गई कि ऐसी स्थिति में वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे देश में महिलाओं के साथ हर प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है और

[सुश्री मायावती]

महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। ऐसी स्थित में केन्द्र की सरकार और खास तौर से माननीय गृह मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आपको गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए कि अभी पिछले सत्र के दौरान महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए जो सख्त कानून बना है, उसमें अभी और थोड़े से संशोधनों की जरूरत है। खास तौर से जब बलात्कार की घटनाएं घटती हैं, तो ऐसे मामलों को हमें ज्यादा लंबा लटकाने की जरूरत नहीं है। उनकी सुनवाई के लिए समय फिक्स होना चाहिए और जो आरोपी लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए, फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। जब तक हम अपने कानून में इसका प्रावधान नहीं करेंगे, तब तक इस किस्म की वारदातें नहीं रुकंगी। जब इस किस्म की वारदातें होती हैं, तो पुलिस विभाग के ऊपर भी अंगुली उठाई जाती है कि वे अपने जिम्मेदारी को ठीक ढंग से नहीं निभाते इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है। इसलिए मैं समझती हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और होम मिनिस्ट्री को यह जरूर सोचना चाहिए कि जो पुलिस विभाग है, उसमें भी जबर्दस्त सुधार की जरूरत है, लेकिन जब हम सुधार के बारे में सोचें, तो भारतीय संविधान का जो संघीय ढांचा है, उसको ध्यान में रखकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि पुलिस विभाग में कहां-कहां सुधार की जरूरत है। हमें सख्त से सख्त कानून तो बनाना है, लेकिन पुलिस विभाग, जो अपनी जिम्मेदारी को बराबर नहीं निभा रहा है, उसमें भी सुधार की जरूरत है। कानून तो बन जाता है, लेकिन वह बराबर लागू नहीं हो पाता। इसलिए हमें पुलिस विभाग में भी थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा।

उपसभापित जी, दूसरी तरफ सरकार की यह भी जिम्मेदारी बनती है, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है और यह ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है कि जो इस किस्म की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, जिनकी मानसिकता लगातार विकृत होती जा रही हैं और जिनके कारण इस किस्म की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, इसको रोकने के लिए हमारे समाज की सोच को भी बदलना होगा। इसके लिए समाज, केन्द्र और राज्यों की सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी। खास तौर से गनवींट लेवल पर जो मनोरंजन के साधन होते हैं, उन्हें स्वीकृति देते समय हमें अपनी भारतीय संस्कृति का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका हमारे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हम बिना सोचे-समझे ऐसी फिल्मों को स्वीकृति दे देते हैं, मनोरंजन के दूसरे साधनों को स्वीकृति दे देते हैं, जिनकी वजह से आज की जो पीढ़ी है, वह उसकी नकल करके गलत रास्ते की तरफ चल रही है।

इसके अलावा सरकारी तौर पर या गैर सरकारी तौर पर भी खास तौर से जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं, जब भी मैं समाचार देखती हूं, तो बीच में बहुत विज्ञापन भरे होते हैं और उनमें जिस तरीके के विज्ञापन दिखाए जाते हैं, मैं समझती हूं कि वे समाज को बिगाड़ने वाले ज्यादा होते हैं। उनसे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या वर्तमान पीढ़ी है, उसके ऊपर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। माननीय उपसभापति जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से और जो कन्सन्ह मंत्री हैं, उनसे यही कहना है कि इन सब पहलुओं की तरफ सरकार को जरूर सोचना होगा।

माननीय उपसभापित जी, इसके साथ-साथ मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप मेरी बात की ओर थोड़ा ध्यान दें कि जब आप हाउस चलाते हैं, तो हाउस चलाते समय...मैं थोड़ा सा विषय से हटकर कहना चाहती हूं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोग हैं, जिनको "वीकर सेक्शन" या "दलित वर्ग" के नाम से भी पुकारा जाता है, उनकी मान-मर्यादा का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। हाऊस में यह मेरी जिम्मेदारी

नहीं है, क्योंकि जब हाउस को आप चला रहे हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है। पिछले सत्र के दौरान भी और आज भी मैंने यह महसूस किया कि जब भी कोई उत्पीड़न का मामला सामने आता है, खासकर अनुसूचित जाति या जनजाति के उत्पीड़न की कोई बात सामने आती है, तो बहुत से माननीय सदस्य * लफ़्ज का इस्तेमाल करते हैं, जबिक * यह असंवैधानिक लफ्ज़ है। संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लिए आपको कहीं पर भी * लफ्ज़ नहीं मिलेगा, इसके ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए। संविधान के तहत तो इस पर बैन लगा हुआ है और संविधान के तहत ही हमारी पार्लियामेंट चल रही है। इसलिए जब यह लफ्ज़ यहां इस्तेमाल होता है, तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी माननीय सदस्य ने गलती से भी उसको इस्तेमाल किया हो, तो उनको टोका जाए और कार्यवाही में से उस लफ़्ज़ को निकाला जाए। यह आपको देखना चाहिए। अगर मैं बीच में बोलूं, तो वह थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। आज भी जब हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, तब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप उनको टोकते कि यह असंवैधानिक लफ्ज़ है, इसलिए इसको देखना आपकी जिम्मेदारी है।

महोदय, संक्षेप में मैं यही कहना चाहती हूं कि जिस विषय पर आज यह चर्चा हो रही है, महिला उत्पीड़न पर, यह बहुत ही गंभीर विषय है। बलात्कार की जो वारदातें बढ़ रही हैं, उनके लिए मेरा केंद्र की सरकार से और माननीय गृह मंत्री जी से यही कहना है कि पिछले सत्र के दौरान महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए हमने जो सख्त कानून बनाया, इसमें संशोधन लाने में हमें कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूं कि आपको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और इस किस्म की वारदातों को रोकने के लिए हाल में बने कानून में यदि कुछ कमी रह गई है, तो उन किमयों को दूर करने के लिए हमें अमेंडमेंट लाना चाहिए। बैहतर यही होगा कि आप इसी सत्र में ले आएं। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि सरकार को इस मामले में गंभीर होना चाहिए और अमेंडमेंट इसी सत्र में लाना चाहिए, तािक इस किस्म की वारदातों पर जड़ से विराम लगाया जा सके। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं, धन्यवाद।

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार): उपसभापित महोदय, परसों पटना से दिल्ली आने के लिए जब मैं अपने कमरे में तैयारी कर रहा था, तो मेरी पोती और पोता मेरे कमरे में आ गए।

[उपसभाध्यक्ष (डा. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन) पीठासीन हुए]

महोदय, मेरी पोती की उम्र ग्यारह-बारह साल है। उस समय मेरे कमरे में टी.वी. चल रहा था, जिसमें दिल्ली में पांच वर्ष की लड़की के साथ जो घटना हुई, उसके बारे में दिखाया जा रहा था। तब मेरे मन में यह बात आई कि मेरी पोती उस खबर को न देखे, कम से कम मेरे सामने तो न देखे। मुझे शर्म आ रही थी कि वह देखेगी कि पांच वर्ष की लड़की के साथ किसी पुरुष ने ऐसा अकल्पनीय, अविश्वसनीय काम किया है और उस समय मुझे अपने पुरुष होने पर शर्म आ रही थी। यह घटना ऐसी है, जिसकी जितनी भी निन्दा की जाए, वह कम है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इसको कानून और व्यवस्था का सवाल मानकर नहीं देखता हूं। मुझे तो यह लगता है कि हमारे देश में सामाजिक और सांस्कृतिक पतन हो चुका है। हमारे समाज का शरीर बिल्कुल सड़ चुका है। इस पर जब तक हम विचार नहीं करेंगे, आप पुलिस के द्वारा इस तरह के घटनाओं को कैसे रुकवा सकते हैं?

^{*}Expunged as ordered by the Chair.

[श्री शिवानन्द तिवारी]

घर में बाप अपनी बेटी के साथ बलात्कार करता है। पुलिस इसमें क्या कर सकती है? मैंने अभी कुछ दिन पहले अखबारों में एक खबर पढ़ी कि एक लड़कियों के स्कूल में उनसे पूछा गया कि इस मामले मे उनका क्या तजुर्बा है? वहां एक-तिहाई लड़िकयों ने यह कहा कि उनके घर के जो पुरुष सदस्य हैं, वे उनके साथ दुराचार करने की कोशिश करते हैं। यह हालत है। इस हालत में अगर हम यह स्कोर करें कि साहब, यहां हो रहा है, वहां हो रहा है, तो पुलिस से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आप उन इलाकों में देख लीजिए, जिन इलाकों में पुलिस कम है। हम जिस इलाके से आते हैं, बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन इलाकों में प्रति दस स्क्वेयर किलोमीटर आप देखेंगे कि कहीं एक पुलिसकर्मी है, कहीं दो पुलिसकर्मी हैं, तो कहीं तीन पुलिसकर्मी हैं। दूसरी तरफ यहां दिल्ली में आप देखिए कि प्रति दस स्क्वेयर किलोमीटर पर चार सौ पुलिसकर्मी हैं, लेकिन फिर भी बलात्कार की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यह सिर्फ कानून और व्यवस्था का सवाल नहीं है। यह मूल्य का संकट है, यह हमारे ऊपर वेल्यु का संकट है। इस बात को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। महोदय, आज हालत क्या हैं? आज समाज में व्यक्ति की सिर्फ दो पहचान हैं। एक तो हम उसको वोटर मानते हैं और दूसरा उसको कंज्यूमर मानते हैं। इसके अलावा व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। यहां व्यक्ति को बताया गया है कि तुम्हारे जीवन का आदर्श, तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य यह होना चाहिए कि तुम कैसे अधिक से अधिक पैसा बटोरो और उसका भोग करो। भोग करने के लिए क्या है? हमारे समाज में जिस ढंग का मूल्य बना हुआ है, पुरुषवादी मूल्य बना हुआ है। अगर औरत के साथ कोई दुर्घटना होती है, दुराचार होता है तो मर्द के खिलाफ उंगली नहीं उठती है, औरत के खिलाफ उंगली उठती है। हम लोगों ने औरत के सिर्फ भोग की वस्तु बनाकर रखा हुआ है। आप सब कुछ देखिए। सुश्री मायावती जी विज्ञापनों के बारे में कह रही थीं। चाहे विज्ञापन हों या फिल्में हों, जो गॉसिप है, जो चूटकले आते हैं, उन सबको आप देखिए, औरत को किस नज़र से देखा जाता है? जब तक हमारी यह नज़र रहेगी, क्या यह संभव है कि हम औरतों की सुरक्षा कर सकेंगे, लड़कियों की स्रक्षा कर सकेंगे? इसलिए माया सिह जी जो बोल रही थीं, मेरी उनके साथ पूरी सहानुभूति है, मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं, लेकिन यह पुलिस का मामला नहीं है। जब से आप उपभोक्तावादी संस्कृति इस देश में ले आए हैं, तब से औरतों के साथ इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं।

महोदय, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मुझे कुछ लम्बा-चौड़ा नहीं कहना है। मुझे याद आ रहा है, इस देश में एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, जिनका नाम है, सिच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। वे बहुत नामी साहित्यकार थे। उन्होंने एक लाइन लिखी है, जिसको मैं यहां सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, "यह मूल्यों की समस्या उठाए बिना केवल अपराधों की चर्चा करना अपने आपमें अपराध है। जिस समाज में कोई ऐसा मूल्य नहीं है, जिनके लिए जीया जाता है, जिनके लिए मरा जाता है, वह समाज अपने मन के साथ बलात्कार की स्थिति को कबूल कर चुका है।" आज देश की यही स्थिति है। चारों तरफ जो संकट दिखाई दे रहा है, जो सोशल क्राइसेज़ दिखाई दे रहा है, हर जगह जो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, हिंसा दिखाई दे रही है, उसके पीछे मूल्य ही कारण है। हमारे समाज में जो संस्कृति का पतन, जो मूल्यों का पतन हो चुका है, उसके बारे में गंभीरता से अगर हम विचार नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है।

उपसभापित महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की घटनाओं में जो लोग इन्वॉल्ब्ड हैं, उनका आप साइकलॉजिकल अनेलिसिस करवाइए। इस तरह की प्रवृत्ति उनके अंदर कैसे पैदा होती है, क्या कारण है कि उनके अंदर इस तरह का वहशीपन पैदा होता है? हमने कई जगह देखा है कि गांव- देहात से आने वाले जो लड़के हैं, वे गांव-देहात का मूल्य छोड़कर शहर में आते हैं। एक तो वे अपनी जमीन से, अपनी जड़ से उखड़कर आते हैं और उसके बाद वे जब यहां की ज़िंदगी देखते हैं, यह चमकीली ज़िंदगी देखते हैं, जिस तरह के विज्ञापन, जिस तरह के होटल देखते हैं, अपने बड़े लोगों का जिस तरह का व्यवहार देखते हैं, उससे उनके अंदर भी एक हिंसक भाव पैदा होता है। अगर हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम इनको नहीं समझेंगे, तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। हम लोग केवल यहां बैठे रहेंगे, इधर के लोग उन पर आरोप लगाएंगे और उधर के लोग इन लोगों पर आरोप लगाएंगे, जब तक हम इसके डाइअग्नोसिस तक नहीं पहुंचेंगे, यह बहस नकली साबित होगी। इसलिए मैं इस सदन से अनुरोध करूंगा और सदन के माध्यम से देश से अनुरोध करूंगा कि एक दूसरे पर, पुलिस प्रशासन पर तोहमत डालने का जो रिवाज़ चला आ रहा है, उस रिवाज़ को छोड़िए। हम अपने अंदर झांकें, हमारे अंदर जो सड़ांद है, हमारे अंदर जो रोग है, जब तक उससे मुक्ति पाने का हम उपाय नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी लड़िकयों को नहीं बचा सकते। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Thank you, Mr. Vice-Chairman. Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for creating the circumstances in which I can participate in this important debate. We would not have liked to participate in such a debate with any needle of suspicion on anybody sitting in the Chair on a similar case. Therefore, I thank you for creating those circumstances.

But, Sir, I rise with a very, very deep sense of anger, anguish and agony because the crimes that are committed against women now-a-days saw a manifold rise; and the gruesomeness of the crime that is happening, words fail me to actually condemn in the worst possible manner that it should be condemned, should be condemned. I can only recollect four lines that Gurudev Rabindranath Tagore wrote when he returned his Knighthood. I quote,

"Give me a voice of thunder, that I may hurl impeccations upon this cannibal whose gruesome hunger spares neither the mother nor the child."

It is with these words he returned his Knighthood. Today, the entire country with these words will have to hang its head in shame that we are just not able to protect our mothers and children. Why is this beastly behaviour against the five year old child? Can you imagine how depraved a society can be? Why is this happening at a time when all of us are considering ourselves to be 'emerging' economy? We pride ourselves being a modern country. We are unleashing the animal spirit which the Prime Minister has talked of is being unleashed in this manner. Therefore, it is not surprising while we rub shoulders with high and mighty on the high table of the G-20 Summit, you have *The Guardian* posing questions. I quote: "Of all the G-20 nations, India has been

[Shri Sitaram Yechury]

3.00 р.м.

labelled as the worst place to be a woman. But how is this possible in a country that prides itself as being the world's largest democracy?"

There is a survey conducted by Thomson Reuters' TrustLaw Women, a hub of information and support for women's rights, it ranks India with Afghanistan, Congo and Somalia as one of the most dangerous places for women. What is happening, Sir, that in every three cases out of four cases of rape registered, forget the unregistered, even in the capital city of Delhi, the culprits went unpunished between 2002 and 2011. The official statistics by the National Crime Records Bureau reveal that between 2007 and 2011, the incidents of rape increased by 9.7 per cent. I agree with Shri Shivanand Tiwari that it is not only a question of policing that is important but there is something seriously wrong in our society that is getting more and more depraved; and that is something that this august House must contribute to try and correct. Therefore, I will say there are two sets of problems involved. One relates to the structural problems of a functioning democracy that is, our law enforcement and justice delivery systems continue to remain pathetic. Unless you have the fear of law, you can't have respect for law. With your law enforcement and justice delivery system being pathetic as they are today, you can generate neither fear nor respect for law. What is happening? Today, there is the Law Commission, which way back in 1987 drew up a blueprint to raise the judge-population ratio from 1.05 judges for every lakh population to five judges within five years. What is the status today? Twenty five years later, the ratio is still 1.4 judges per lakh population. In 1987 the recommendation was for five judges. It is still 1.4 judges per lakh population instead of five.

How can you deliver justice? If you cannot deliver justice, law enforcement, crime enforcement cannot work. If justice is not delivered, why would investigations take place? Why would cases be filed? It goes down the line. There is an important point here, which I want the Government to consider that this is not only an isolated case of rape, not only a general larger issue of great concern and anguish to all of us, that is sexual assaults against women, but this is also a larger case of the question of law enforcement and justice delivery system in our country. Unless that is improved and attention is paid to that, this situation cannot be remedied.

The second aspect deals with what is our practice of modern democracy. We call ourselves modern. A noted sociologist, Dipankar Gupta, who was my classmate at one point of time, a most noted sociologist in India today, defines modernity. I think it is

important that we all realize this. Sociologist Dipankar Gupta defines modernity as "characterized by an attitude of equality with, and respect for, others. It is not as if in a modern society all are actually equal. Yet, in spite of the many differences that exist among people, modernity demands a baseline similarity so that people can live with dignity and can realistically avail of opportunities to better their conditions of existence. It is on this bedrock of equality that other differences and inequalities can be added on. But the foundational equality cannot be compromised for it is on this that claims of citizenship are made in modern societies. In traditional orders, they were rulers and subjects, but no citizens". We have a social order where there are still rulers and subjects. There are no citizens. We have a patriarchal order that continues to pervade in our society. I can only describe it by invoking a term of an Iranian intellectual who at the time of Ayatollah Khomeini-led Iranian revolution — they were talking of the revolution coming from the west; they said this is a westernization of Iran that is taking place coined a term called 'westoxication', not westernization, but intoxicated with the west. I would like to extend this term 'modernity' which we call ourselves in India; it is not modernity, it is modernoxity. It is intoxication with modern things. We can wear Gucci shoes; we can flaunt Mont Blanc pens, but when you want your daughter to be married, it has to be in the same sub-caste. When you want a choice between a son and a daughter, it is the son who is preferred. That is what is modernoxity. We are a toxic society with modern instruments to play with, but we are not a modern society. And that modern society has to be created. I am amazed. Sometimes, my family wonders why I spend so much time looking at the matrimonial columns. On Sundays, I look at the matrimonial columns only to identify the number of people who are NRIs, whose children have never set their foot on the soil of India, but they will put a column looking for a sub-caste match that they want. What is this? Is it a modern society? Sir, what we are creating today is a lethal combination. I would say it is a lethal combination; it is a venal cocktail of the hangover of feudal patriarchism and neoliberal values of consumerism that we are generating, which Ms. Mayawatiji has talked about. It is this lethal combination that is destroying our social values. It is this cocktail that is giving rise to all this that we are seeing today. These economic reforms have generated aspirations; they have generated all sorts of things that are shown in terms of TRP ratings in your television sets. That sort of a commercialization where women are treated as objects of desire, as objects to be shown, but not as human beings, is what feeds the feudal patriarchal values, which continue to coexist. Unless this is shattered, we cannot really control this situation.

These are not issues on which we would like to give long speeches, but I would only urge this august House and the Government to consider that while the system of

[Shri Sitaram Yechury]

administration of our democracy in terms of law enforcement and in terms of delivery of justice is vastly improved; while that needs to be done, I think, as a collective body, the Indian Parliament should rise to see to it that this venal cocktail of lethal combination of feudal patriarchism and the consumerist values that today the neo-liberal reforms are creating, is not allowed to grow further.

This is what is happening and unless you are able to identify the subject holistically, you will not be able to solve this problem. After the unfortunate gang rape that happened in December, Sir, you may just look at your records. The hon. Home Minister could please provide us the records. The number of instances of rape has increased, not decreased. What have you done? Have you publicized and made it fashionable! How can, after such a national outrage, rate of this sort of a venal crime increase unless the values of neo-liberal consumerism have actually glamourised something like this? Instead of containing that animal spirit, you are unleashing the most deepest depraved animal instinct in our society; it is something which can't be accepted.

Therefore, Sir, I would urge this Government to not take up these issues—one case after another—in a piecemeal manner and tell us that so many have been arrested and so many have not been arrested. Please do that; please enforce law; please deliver justice. But, at the same time, also understand that in the larger context of the economic reforms that you are following, you are unleashing a new animal in India. This new animal in India is the combination of feudal patriarchism along with your neo-liberal consumerism. That is a very dangerous animal. That is why, I would urge the Government to accept the recommendations of Justice Verma Committee; please do whatever is required and needful. I am sure, everybody, cutting across every single political party represented in this House, would support any reform that would be brought about to improve our law enforcement and improve delivery of justice.

We all have to contribute to changing the society. Shivanand Tiwariji quoted a noted writer, Firaq Gorakhpuri; he suddenly comes to my mind. All of us know that he was a professor of English. He belonged to a traditional Hindu upper caste family. Raghupati Sahai was his name. He taught English but he wrote Urdu poetry. That is India, Sir. He would be a Hindu, writing in Urdu and teaching English. That is the greatness of our society. Once, there were communal riots going on all around the country. There was a *sher-o-shayari* taking place in Allahabad. He was there and was not saying anything because he was very depressed. At that time, everybody insisted that he should say something. On their insistence, he said two lines. I just want to

repeat those two lines. मैं उनकी दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। You know, Sir, in *sher-o-shayari*, it is to do with love, glamour and such things. उन्होंने सिर्फ यही कहा:

"हासिल-ए-हुस्न-ओ-इश्क़ बस इतना आदमी आदमी को पहचाने"

That is what we have to create, Sir. That is the basis of humanism—one individual recognising the other individual as an individual. Unless we have that respect for each other, we can't solve this problem. So, while combining all other requirements of administration, let us collectively try to change the consciousness in our society that is getting degenerated by the day, by this lethal combination that I was talking of, of feudal patriarchism and neo-liberal consumerism. Let us stop this from happening. I think, that is the biggest contribution we can all do to our own country and our society. Thank you, Sir.

DR. KANWAR DEEP SINGH (Jharkhand): Sir, referring to the Jallianwala massacre, Gurudev Tagore had said, "India is ashamed." I think Gurudev's words are true even today, Sir. India is ashamed. We discussed the same issue in December when that gruesome gang-rape happened. But where are we, Sir? Nothing has changed in spite of passing all those Bills and bringing in those amendments which we discussed in this House. Even then I ask the hon. Home Minister as to how many rapes have happened in Delhi alone after that. As per my information, the number is 386 in those three months. This means we have not done enough. In Haryana the average is 1000 rapes per year. The SC/ST Commission has termed Haryana, as the rape State of India. This pathetic state shows that the time of debates and discussions has passed. We need to do something, actions. I do not want to politicize it but I would like to highlight here that in West Bengal the Government has set up 45 all-women police stations and fast track courts have been set up in every Division. It is showing the desired results. In my opinion, Sir, this kind of a thing is required. The all-women police stations and fast track courts are required all over the country and a time bound decision is required from those courts. Tiwariji was saying, and I agree with him that there is sickness in the society. There is no denying, Sir. There is a sickness in the society; there is a sickness in the police force. Otherwise how would you explain a police officer instead of registering the complaint offering two thousand rupees to the father, to the parent and ask them to stay quiet? This is nothing short of sickness. The sickness in the society is clear, it is prevalent. How do we address it? In my opinion, Sir, such sickness needs a shock treatment. A shock treatment, if I may remind the hon. Members, when the Sati movement, the Sati sickness from the Indian society was removed, at that time, the orders were that any one caught doing the forcible Sati was hanged, hanged

[Dr. Kanwar Deep Singh]

on the crossroads and would remain there so that other people could come and see. I know it sounds uncivilized but to deal with this sickness of such barbarians, I think, a shock treatment is required and the shock treatment which I recommend is that they should be physically castrated and then they should be exposed to the entire society. Only then can this kind of a sickness from the rapists' mind be removed. In my opinion, they need a shock treatment like this. We all have heard, we all have spoken and in the past also I participated in a similar debate sometime in December or January when those things happened, but they are not showing any results. I would strongly recommend such strong measures, such shock treatments. Thank you, Sir.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, आज जिस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा हो रही है, वह बहुत दुखत भी है और पूरी दुनिया में देश के सम्मान को गिराने वाली घटनाओं से जुड़ा हुआ है। हम जहाँ रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहाँ यह माना जाता रहा है कि नारी देवी-स्वरूपा हैं। हमारे इलाके में ज्यादातर कन्याओं के नाम के आगे देवी लिखा जाता है। हमने यह भी पढ़ा और हमें यह बताया गया, "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।" राष्ट्र कवि मैथलीशरण गुप्त ने भी लिखा, "एक नहीं दो-दो मात्राएं, नर से भारी नारी।" जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, "नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।" मिश्रा जी यहां हैं, हमारे इलाके में अगर दो दिन की भी कन्या है, तो बड़े से बड़ी उम्र वाला व्यक्ति भी उसका पैरा छूता है। ऐसी स्थिति में जब कोई अबोध बालिकाओं के साथ या बेटियों के साथ दुराचार करे, तो इस बात की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यह हो रहा है।

अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस पर चर्चा की थी और इसके लिए कानून भी बनाया था तथा कानून में संशोधन भी किया था। उस समय भी मैंने कहा था कि केवल कानून बनाने से ये चीजें नहीं रुक सकती हैं। हमें इसकी रूट पर जाना पड़ेगा, इसके मूल कारणों पर जाना पड़ेगा कि आखिर इस तरह की विकृत मानसिकता पैदा क्यों होती है। पूरे देश में खुलेआम अश्लील फिल्मों की सीडीज़ बिक रही हैं। एक दिन इस मामले के बारे में टीवी पर दिखाया जा रहा था, उसमें बताया गया कि जब मुजरिम पकड़ा गया, तो उसके सेल फोन में 12 अश्लील फिल्में थीं। आज पत्र-पत्रिकाओं में जिस तरह के विज्ञापन छपते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस तरह के विज्ञापन आते हैं कि पूरे परिवार के साथ बैठ कर न्यूज़ देखना भी मुश्किल हो गया है। आज यह हालत है। हमारे यहां आधुनिकता के नाम पर यह जो पश्चिमी संस्कृति हावी हो गई है, इससे लोगों के मन मे जो हया और शर्म हुआ करती थी, लज्जा होती थी, वह धीरे-धीरे खत्म हो गई है और उसी का परिणाम है कि कानून को सख्त बनाने के बावजूद इस तरह की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि फिल्म सेंसर बोर्ड क्या करता है। महाराष्ट्र में बार बालाओं पर पाबंदी लगा दी, लेकिन बार बालाएं लोगों के मनोरंजन के लिए जो डांस करती हैं. जो गाना गाती हैं. वे फिल्मों में जो आइटम साँग होते हैं. उससे सी गुना ज्यादा अश्लील और भद्दे होते हैं। हर वर्ष नए वर्ष आरंभ होने के एक रात पहले इस देश की कुछ बड़ी तारिकाओं को आइटम साँग करने के लिए एक-एक मिनट का एक-एक करोड़, दो-दो करोड़, पांच-पांच करोड़ रुपया मिलता है। इसे कौन रोकेगा? पत्र-पत्रिकाओं. मीडिया और फिल्मों में यह जो वल्गेरिटी और अब्सेनिटी बढ़ रही है, इसको कौन रोकने का काम करेगा? यह जब तक नहीं रुकेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, चाहे आप कितना ही कानून बना लीजिए, चाहे कितना ही कठोर कानून बना लीजिए।

मुझे याद है, जब मैं पहली बार 1992 में इस हाउस में आया था, उस समय नजमा जी उपसभापित हुआ करती थीं, जब मैंने यह मामला उठाया था, तब इसी चेयर से नजमा जी ने भी खुद कहा था कि मुझे अपने परिवार के सामने न्यूज़ देखने में भी दिक्कत होती है और संबंधित मंत्री को डायरेक्शन दिया था कि मंत्री जी इसको रोकिए। यहां से चेयर का ऐसा डायरेक्शन था।

लेकिन ये मामले लगातार बढ़े हैं, इसमें किसी तरह की दो राह नहीं है। यह सही है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हैं, जिनमें पुलिस की लापरवाही हुई है। जहाँ पुलिस लापरवाही करे, वह तो अक्षम्य अपराध है और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो बातें लोगों के मन को दूषित कर रही हैं, उनको रोकने के लिए जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे, तब तक पुलिस नहीं बचा सकती है। जैसा कि अभी तिवारी जी ने कहा, अगर बाप बेटी के साथ रेप करे, चाचा भतीजी के साथ रेप करने लगे, भाई बहन के साथ रेप करने लगे, तो पुलिस नहीं रोक पाएगी। यह मानसिकता क्यों पैदा होती है? इस मानसिकता पर बंदिश लगाने की आवश्यकता है। इस क़ानून में तो आप संशोधन कर चुके हैं, लेकिन जो दर्जनों कनेक्टिड क़ानून हैं, जो कन्सर्न्ड क़ानून हैं, उनके ज़रिए भी ऐसी मानसिकता को रोका जा सकता है। आज बाजार में थोक भाव मे तमाम तरह की जो गंदगी परोसी जा रही है, जो वल्गैरिटी परोसी जा रही है, उसको रोकने के लिए भी क़ानूनों में संशोधन करना पड़ेगा, चाहे वह आईबी मिनिस्ट्री को करना पड़े या अन्य किसी कन्सर्न्ड मिनिस्ट्री को करना पड़े, लेकिन इन सारी चीज़ों पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। गृह मंत्री जी, अगर आप दिल्ली के पालिका मार्केट में अभी रेड कराइए, तो वहाँ आपको लाखों वल्गर और अश्लील सीडीज़ मिल जाएँगी। अगर ऐसा हो, तों आप वहाँ के एसएचओ और वहाँ के डीसीपी को सस्पेंड कीजिए। अगर ऐसा है, तो आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या कभी किसी ने यह सुना कि इस तरह की कोई खेप पकड़ी गयी हो या कहीं कोई रेड हुआ हो? क्या इस तरह की चीज़ों को बेचना, इस तरह का सामान सोसायटी में जाना और सोसायटी के लोगों के मन को विकृत करना ज़ायज़ है? किसी भी क़ानून की धारा की तहत यह उचित नहीं है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। देश के किसी भी हिस्से में इस तरह का अपराध हो, वह पूरे भारत के लिए एक कलंक है। इसलिए मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। चाहे वह दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य कोई राज्य हो. सारे देश में इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। जब इस तरह की घटनाएँ सारे देश में हो रही हैं और ये घटनाएँ बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आदमी आज मानसिक रूप से ज्यादा बीमार होता जा रहा है और उसका इलाज करना पड़ेगा। उसका इलाज आप चाहे इलेक्ट्रिक शॉक लगा कर कीजिए, चाहे सख्ती करके कीजिए, चाहे विभिन्न तरह के क़ानूनों को बना कर कीजिए या उनको संशोधित करके कीजिए, जब तक आप टेलीविजन, पत्र-पत्रिकाओं और इस तरह के लिट्रेचर पर पहले सख्ती से पाबंदी नहीं लगाएँगे, तब तक रेप के संबंध में आपने जितने क़ानून बनाए हैं, चाहे आप कुछ भी करते रहें, ये अपराध बढ़ते रहेंगे।

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको संशोधन करना है, तो अन्य कुछ जो जुड़े हुए क़ानून हैं, जो मनुष्य के मन को, दिल को, दिमाग को दूषित कर रहे हैं, उनको सुधारने की कृपा कीजिए, क्योंकि बिना इसके कुछ हो नहीं सकता। आज जो हो रहा है, दिल्ली में बच्चियों के साथ जो हुआ है, वह बहुत दु:ख की बात है। उस पर चाहे कितना भी दु:ख प्रकट किया जाए, वह भी कम है और वह पूरे देश के लिए एक लज्जा की बात है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसलिए आपको कठोर बनना पड़ेगा, सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और वह कार्रवाई राजनीति से ऊपर उठ कर करनी होगी। इसमें किसी तरह की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बेटी हो, अगर किसी के साथ अन्याय होता है, तो वह देश की बेटी है, उस पर किसी को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कार्रवाई जरूर हो। अगर लोगों

[प्रो. राम गोपाल यादव]

को दिखेगा नहीं, तो लोग सड़क पर आएँगे। जब लोगों को यह दिखेगा कि कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो लोग सड़क पर उतरेंगे और जब वे सड़क पर उतरेंगे, तो उनमें से कुछ लोग पॉलिटिक्स भी करेंगे, वे बहती गंगा में हाथ धोने का काम करेंगे। वह उनकी बात है, लेकिन गनर्वमेंट में होने के नाते आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप इस पर अकुंश लगाने का काम करें। आप संबंधित क़ानूनों को भी संशोधित करने का काम करें, यहीं मेरी आपसे प्रार्थना है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Now, Shri Shashi Bhusan Behera. We have 21 more Members to speak. So, Members may kindly adhere to the time-limit. It is an issue of general interest and, therefore, you would not be interrupted, but you must confine yourself to the time-limit.

SHRI SHASHI BHUSAN BEHERA (Odisha): Sir, I would only like to express concern over the issue. With much shame, guarded words and a checked tone, we discuss this matter here in this House; we cannot discuss it within the family or in the public. It is such a heinous crime. After the December 16 incident, we had expected that such incidents would not recur, at least, in the near future. But, as Mr. Sitaram Yechury said, there is no fear of law. We are framing laws here but we are not sure how sincere the Government is in implementing them. These shameful incidents are increasing day-by-day. We are not able to check if there are social and cultural issues behind that. As Shri Shiyanand Tiwari said here, our cultural and social fabric has become too polluted and we are not able to free ourselves from it. We are not able to project our women, mothers and sisters, in the right perspective, as we had done in the past. Traditionally, we have been known as people giving the highest respect to women, but now, this country has lost it. We are not able to give such high respect to the women of our country, and such incidents keep recurring. We are ashamed of these incidents. The world is watching us and wondering how such incidents are taking place in a nation that has traditionally been giving the greatest respect to women.

Sir, we certainly feel hesitant to discuss this matter anymore. But how far can we remain silent? We cannot even speak about it in the house, in our families and in the public. But this is the right place to discuss it and mull over the solution to this problem, to have some solution for the future, and to have more stringent laws for the country. This is very much important to us.

Sir, I do not wish to elaborate any further. The Home Minister was here. No doubt, the culprit has been arrested within two-three days of the incident. On the one hand, the Police has proved its efficiency, but on the other, there is the darker side of the police, a sector which needs reforms. The Police tried to suppress this matter by

offering bribe. Even after this incident, a policeman slapped a woman agitator. This too is unthinkable. The Police must tackle the situation with patience, but they have failed. The Government must seriously think about bringing in police reforms. We must make the laws more stringent. For that, we may either think of implementing the Verma Committee's recommendations or make more stringent laws. Justice Verma had made some very effective recommendations. At that time, many of the Members, both inside the House and outside, were against hanging but with the repeated occurrence of such incidents, we must seriously ponder over it. When we think of such incidents, the face of our own children play before our eyes; their faces come to our mind. So, stringent action may be taken in this respect. And, if the past laws are not sufficient, we may have wider laws in this direction. These are my submissions and suggestions for the Government. We are all with the Government if the Government comes up with a better law and stringent action.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN) : Dr. Janardhan Waghmare; not present. Dr. V. Maitreyan.

DR. V. MAITREYAN: Sir, I, on behalf of my party, AIADMK and my party supremo, Dr. Puratchi Thalaivi, condemn in no uncertain terms the repeated assaults on the women and girl children in the country in various parts. The latest being what has happened in the Capital Delhi last week. In fact, the Government came with a Bill, the Criminal Law (Amendment) Bill, 2013, in the first half of the Budget Session. In fact, the Bill was originally referred to the Standing Committee of the Home Affairs. The Standing Committee in a record time of less than three months made the necessary recommendations and submitted the Report also. The House also discussed that Bill. I would like to just quote a few references what I spoke at that time. I had mentioned at that time: Will the proposed Bill, that is the Criminal Law (Amendment) Bill, 2013, guarantee that no such incident will recur in future? The answer, perhaps, is a big 'No'. I am of the view that the Bill has been prepared by the Government in utmost haste without paying any attention to its pros and cons simply to deflect the attention of the public from its failure in implementing the existing laws of the land in letter and spirit. I further stated at that time that I would have been happy if the Government in addition to making this new Bill had taken some tough measures to streamline and strengthen the law implementing agencies on whose shoulders the success or failure of any Act or a Bill lies. Steps such as police reforms, fixing responsibility and accountability for failure to maintain law and order and check heinous crimes, fast tracking of the dispensation of justice, ensuring conviction, etc., could have been the steps taken in the right direction. Unfortunately, the Government did not take any of [Dr. V. Maitreyan]

those steps and we saw the spectacle of the same incidents being repeated again and again. I don't think anybody here will have any disagreement about steps which need to be taken by the Government. You can go on making the laws tougher and tougher; you can bring one more law. That is not going to solve the problem. Even in the last discussion we have said that there should be a death penalty for the rapist. Of course, the Government in its wisdom decided it to be on certain extreme measures only. But what is more important, rather than adding fresh laws and more laws, is action in abundance. What needs to be done is their strict and scrupulous enforcement and implementation. Unless the Government enforces and implements the existing laws in letter and spirit, I don't think there can be any solution. I am very confident and convinced that this Government does not have this will. Thank you.

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI (Andhra Pradesh): Thank you, Sir, for giving me this opportunity on this sensitive issue. But I feel this is really sad and unfortunate for us to discuss this issue again and again in this Parliament. It is a very bad incident and shameful for our nation. After bringing that Criminal Law (Amendment) Bill, 2013 in the first half of the Budget Session, again these incidents were happened. Exactly four months after that gang rape of 23 years' old girl in Delhi, an innocent 5-year old girl was kidnapped, raped and tortured by two men in the last week. This is a very horrible incident. The Medical Superintendent said that he has never seen such a horrible incident. This means: what is happening in this country! There is a sudden doom of moral and ethical values in our country. That is why such incidents are taking place in our country. There is some sickness in the minds of some people in the country. Along with this Amendment Law, there must be some change in the mindset of people who are behaving like this. Everybody, including us also, should try to bring change in the country.

In our country, we respect woman as Mother Goddess. Now-a-days, even small children are also watching these news items on the television. Small kids feel afraid. In our house also, we see that mother remains concerned and afraid for her child. In Andhra Pradesh, last month only, one incident had happened. A 16-year old girl and her mother went to the market for shopping. Suddenly, some people, who were drunk, attacked the girl. The mother wanted to avoid that incident. But, they threw the mother in the lorry and she died. That incident was happening in front of girl's mother. Mother could not bear that incident. Such incidents are happening in our country. The entire world is watching our country. Now-a-days, citizens from other countries avoid visiting India. This one move by other countries gives a clear picture of the status of women in this country. There is no security for women in this country. Response of the police in

such incidents also leads to recurrence of these incidents. In this recent case, the police refused to file a complaint by the parents. Police failed to carry out adequate search in spite of parents' complaint. The most brutal thing is that they offered, as we have seen in newspapers, the parents Rs.2,000 to keep quiet. So, what more brutality can we witness in the capital of this country than this? After this incident, it becomes clear that sadism has become the order of the day in this country.

I suggest to the hon. Minister to call the representatives of all the political parties to provide for death sentence in case of rape of children and old women, and in cases involving brutality and barbarity as in the present case. Secondly, police should be sensitised and alerted towards such incidents. Their approach to such incidents, at least, should be generous and helpful. Besides this, I urge upon the Government to immediately terminate the services of police officials who refused to act and who have become highly insensitive towards the issue. This should work as deterrent for other police officials also. Then, the culprits, who are being caught, should be hanged and this should be done within one month's time by setting up fast track courts.

गवर्नमेंट के कानून के साथ ही लोगों में भी मानसिक परिवर्तन आना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति का सब लोगों को आदर करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति का विदेशों में भी, ऑलओवर वर्ल्ड में भी लोग आदर करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को विदेशी लोग भी मानते हैं, मगर हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति हमारे लोगों में रूझान आना चाहिए. लोगों में बदलाव आना चाहिए।

Everybody should be involved to bring about a change in the sickness prevailing in the society.

Lastly, I request the Government that it is the social responsibility of all the people and also the Government to take serious steps to control such incidents.

श्री जावेद अख्तर (नाम निर्देशित): उपसभाध्यक्ष जी, मैंने कभी एक कहानी सुनी थी, वह मुझे याद आती है, जहां कुछ अंघों ने एक हाथी को टटोला था। एक जिसने सूंड पकड़ी, उसने कहा कि हाथी पाइप की तरह होता है, दूसरे ने दुम पकड़ी तो उसने कहा कि रस्सी की तरह होता है, तीसरे ने पैर पकड़ा तो उसने कहा कि खंबे की तरह होता है, लेकिन सच यह है कि हाथी इनमें से किसी तरह का नहीं होता है। मुझे यहां यह मालूम हुआ कि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ये जुर्म बढ़ रहे हैं, यह भी पता चला कि कंज्युमरिज्म यह करवा रही है, किसी ने यह भी बताया कि सिनेमा की वजह से और खासतौर से आइटम साँग की वजह से ये रेप और जुर्म बढ़ रहे हैं।

सर, हिंदुस्तान में चौदह हजार सिनेमा हाउस हैं, जिनमें से आठ हजार सिनेमा हाउस कर्नाटक, तिमलनाडु और आंध्र प्रदेश में हैं। सिनेमा की वजह से अगर इस तरह के क्राइम बढ़ते हों, तो इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा क्राइम होने चाहिए और उन स्टेट्स में कम होने चाहिए जहां सिनेमा हाउस कम हैं। सच यह है कि मैं इन स्टेट्स को मुबारकवाद देना चाहूंगा क्योंकि आज भी इन स्टेट्स में इस तरह के क्राइम बहुत कम हैं।

[श्री जावेद अख्तर]

अगर यह क्राइम वैस्टर्नाइजेशन की वजह से बढ़ता है, तो फिर जो वैस्ट है, वहां तो इस तरह के ज्यादा रेप्स होने चाहिए, ज्यादा परवर्जन्स होने चाहिए, लेकिन उनके अखबारों और टी.वी. पर तो हमें ऐसी खबरें नहीं मिलती हैं। कंज्यूमरिज्म के कारण हो, तो यूरोप की जो कंज्यूमर सोसायटी है, वहां ये केसेज़ ज्यादा होने चाहिए। मैं यहां न कंज्यूमरिज्म को डिफेंड कर रहा हूं, न सिनेमा को डिफेंड कर रहा हूं, न लिब्रलाइजेशन को डिफेंड कर रहा हूं। मैं यहां इनके लिए नहीं खड़ा हूं। मैं इस बात से घबरा रहा हूं कि आप डाइग्नोसिस गलत कर रहे हैं। जो गलत हो गया तो आप इलाज ही कैसे करेंगे, जब तक आपको रोग का कारण ही मालूम नहीं है? रेप और औरतों पर जुल्म कोई पिछले 10 साल, 20 साल या 30 सालों की इन्वेंशन नहीं है। हम केवल अपना दिल बहलाते हैं यह कहकर कि हम औरतों की बड़ी इज्ज़त करते हैं और हमारा कल्चर यह रहा है। जिस मुल्क में बेटी के पैदा होने पर गम मनाया जाता है, जहां आज मेल और फीमेल जेंडर का परसेंट बदल रहा है, इसलिए कि बच्ची को गर्भ में ही मार दिया जाता है, जहां 50 परसेंट से ज्यादा पढ़ी-लिखी अर्बन औरतें यह बताती हैं कि उन्होंने डोमेस्टिक वॉयलेंस देखा है, वहां हम यह कह रहे हैं कि हम औरत की बहुत इज्ज़त करते हैं। सच्ची बात यह है कि हमारे यहां जेंडर प्रेज्यूडिस इतने गहरे हैं कि यह कोई हैरत की बात नहीं है कि एक औरत को इस समाज में इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। यहां बच्ची को गर्भ में ही मार डालते हैं या पैदा होते ही मार डालते हैं, तो वहां अगर रेप हो जाता है, तो उसमें हैरत की क्या बात है? यह दु:ख की बात है. हैरत की बात नहीं है।

हमें दो बातें करनी ही होंगी। इसका इलाज यह बताया जाता है कि फांसी दे दीजिए, तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा लगता है कि सारे रेपिस्ट्स दस साल की सज़ा पा चुके हैं, लेकिन दस सालों में सुधरे नहीं हैं, इसलिए अब उन्हें फांसी देनी चाहिए। उन्हें सज़ा मिलती ही कहा है, यह सज़ा उन्हें दी ही कब गई है? क्या परसेंटेज है उन लोगों का जिन्हें यह सज़ा मिलती है और क्यों नहीं मिलती है? इसलिए नहीं मिलती कि हमारी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए नहीं मिलती कि हमारी अदालतों तक गरीब आदमी जी ही नहीं सकता, उसकी एफ.आई.आर. ही नहीं लिखी जाती है।

दो-तीन बातें हैं, हमें कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉग टर्म काम करने होंगे। पहले तो हमें पुलिस के लिए इंतहाई सख्त कानून बनाने होंगे कि जो पुलिस वाला एफ.आई.आर. नहीं लिखता, उसको नौकरी से निकाला जाएगा। उसे केवल सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, यह बहाना है, कुछ दिनों बाद आप उसे वापस ले आएंगे। आप कानून बनाइए कि जिस पुलिस वाले ने इसमें लापरवाही की, उसको नौकरी से निकाला जाए, उसको जेल भेजा जाए। जब दस पुलिस वाले निकलेंगे, तो सब ठीक हो जायेंगे। दूसरे यह है कि इस तरह के रेप्स और इस तरह के क्राइम्स की सुनवाई के लिए आपके पास फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, तब इंसाफ मिलेगा। गरीब आदमी के लिए तो इंसाफ मुमिकन ही नहीं है। मैं पिछले दिनों किसी केस के सिलिसले में कोर्ट गया था, मुझे मालूम हुआ कि हाई कोर्ट में एक आम वकील एक पेशी के दो लाख या ढाई लाख रुपए लेता है। तो मैंने सोचा कि यहां तो सिर्फ अमीर आदमी आ सकता है या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ वे आ सकते हैं, गरीब आदमी के लिए तो इंसाफ का कोई डिपार्टमेंट ही खुला नहीं है। यानी इंसाफ जल्दी होना चाहिए, तफ्तीश जल्दी होनी चाहिए और पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

तीसरे यह है कि हमारे समाज में औरत के खिलाफ, बच्ची के खिलाफ बहुत प्रेज्यूडिस है। मैं बहुत अजीब बात कहने वाला हूं कि जिस समाज में मां की बहुत इज्ज़त हो, समझिएगा कि उस समाज में औरत की हालत बहुत खराब है। मां बहुत आदरणीय है, मां के पैरों के नीचे स्वर्ग है, मां की पूजा होनी चाहिए, तो फिर वह कौन है जो आदरणीय नहीं है, वह कौन है जिसके पैरों के नीचे जन्नत नहीं है, वह कौन है जिसकी पूजा नहीं होनी चाहिए? यानी वह औरत जो मां नहीं है, इसका यही मतलब निकलता है। एक को आपने इज्ज़त दे दी और बाकी को बेइज्ज़त कर रहे हैं। किसी भी स्वस्थ समाज में हर औरत और हर मर्द इज्ज़त के काबिल होना चाहिए. मां ही क्यों?

Short Duration

इसके लिए दो काम जरूरी हैं। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके लिए व्यवस्था की जाए और यह एच.आर.डी. मिनिस्ट्री का फर्ज़ बनता है, स्टेट्स का फर्ज़ बनता है कि हमारे सिलेबस में पहली क्लास से बारहवीं क्लास तक एक सबक ऐसा होना चाहिए जहां बच्चों को मालूम हो कि जेंडर इक्वेलिटी क्या चीज होती है। आप उनको देवी मत बनाइए। आपने देवी बनाकर देख लिया कि कुछ नहीं हुआ, आप उन्हें इंसान मानिए। यह हमें दिखाना होगा। यह ख्याल कि वैस्टर्नाइजेशन से, लिब्रलाइजेशन से और जो नयी तहज़ीब आ गई है, उससे यह हो रहा है, यह सही नहीं है।

हकीकत तो यह है इस मुल्क को आप गौर से देखिए। यहां के टीनेजर लड़के-लड़िक्यों, स्कूल के लड़के-लड़िक्यों को हमारी मुम्बई में आकर देखिए, उनके ज्यादा हेल्दी रिलेशन्स हैं, वे ज्यादा बेहतर लोग हैं। जहां पर एक आम बच्चा जो है, जिसने बाइस सालकी उम्र तक सिर्फ अपनी मां या बहन से बात की हो और किसी पराई लड़की से पांच मिनट तक बात नहीं की हो, उसके लिए तो लड़की इन्सान नहीं, कोई जानवर है जिसे वह दूर से देखता है। उसका दूसरी लड़िक्यों से कोई रिश्ता ही नहीं है। यह सब अनहेल्दी ऐटीट्यूड है। हमें इसे चेन्ज करना होगा और हम यह सोचें कि हम पीछे चले जाएंगे, तो सब ठीक हो जायेगा, यह डाइअग्नोसिस बहुत से लोग करते रहते हैं। मैंने तो अक्सर लोगों को देखा है कि जब उनकी फन्डामेन्टल्स की वजह से गड़बड़ होती है, तो वे बताते हैं कि गड़बड़ इसलिए हो रही है कि हम अपने मज़हब से हट गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो बेकार, नाकारा वैल्यूज़ हैं, जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, इन्हें छोड़कर हमें एक सेहतमंद, एक हेल्दी समाज बनाना होगा, जो एजुकेशन के द्वारा बन सकता है, जहां पर औरत और मर्द, बच्चा और बच्ची, लड़का और लड़की ईक्वल माने जाएं, उनकी पूजा न हो, उनसे दोस्ती हो, उनसे मुहब्बत हो, शुक्रिया।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): सर, इस घटना की जितनी निन्दा की जाए, उतनी कम है, लेकिन एक बात तो है कि हमारे देश में हमने महिलाओं को देवी का दर्जा दिया है। एक तरफ उनको देवी का दर्जा मिला है, देवी को पूजा भी जाता है और बेटी को लक्ष्मी यानी धन की देवी का रूप माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ घर में और घर के बाहर उसको जिस तरह से अपमानित होना पड़ता है, हिंसा की शिकार बनना पड़ता है, वह हम रोक नहीं पा रहे हैं।

सर, जब दामिनी पर अत्याचार हुआ था, तब इस सदन में हमने उसको श्रद्धांजिल दी थी। 16 दिसम्बर को चलती बस में दामिनी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी मौत हुई। उसकी मौत एक राष्ट्रीय शर्म थी, इन्सानियत को कलंकित करने वाली थी, तब हम सभी ने सदन में कहा था कि दामिनी का बलदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे देश की मां-बहनों से, बेटियों से हमने वादा किया था कि फिर कभी दामिनी जैसी आफत आप पर नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम अपना वादा भूल गए। राजधानी दिल्ली ने फिर एक बार पांच वर्षीय मासूम बच्ची पर बलात्कार हुआ और वह हवस की शिकार हुई। जब दिल्ली में, राजधानी में इस प्रकार की वारदात होती है, तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। आक्रोश सड़कों पर उतर आता है और संसद

[श्री संजय राउत]

तक हिल जाती है। प्रधान मंत्री, राष्ट्रपित चिन्ता जताते हैं, लेकिन सर, यह सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है। हमने कल देखा कि मध्य प्रदेश में एक नन्ही बच्ची पर किस प्रकार से अत्याचार हुआ। उसे कल नागपुर लाया गया और वह ज़िंदगी से लड़ रही है, उसकी ज़िंदगी खतरे में है। कल पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ अस्पताल में एक विकलांग बच्ची पर बलात्कार हुआ और आज मुम्बई में एक महिला हवस की शिकार हो गई। तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार पूरे देश में हो रहा है। महिलाएं हवस की शिकार बन रही हैं। दिल्ली में दामिनी के साथ जो घटना हुई, उसके बाद से दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में लगभग 50 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। हर दो घंटे बाद इस राजधानी में महिला को पीड़ित किया जाता है, उसका मतलब क्या है? ज़रूर यह एक सामाजिक समस्या है, लेकिन दिल्ली की कानून-व्यवस्था केंद्र के हाथ में है, तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। यहां अगर महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो हम किसके पास जाएं? दिल्ली की मुख्य मंत्री, जो स्वयं एक महिला हैं, उन्होंने कहा कि यहां उनकी खुद की बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर आप अपनी खुद की बेटी की सुरक्षा के बारे में इस प्रकार की बात करेंगी, तो आपको सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है।

हम आपकी तरफ देखते हैं कि आप हमारी सुरक्षा करें। यह आपकी जिम्मेदारी है। सर, हमारे देश में प्रति वर्ष लगभग 20 हजार महिलाएं बलात्कार की शिकार होती हैं, लेकिन सिर्फ बीस परसेंट अपराधियों को ही सजा मिलती है और वह भी कई सालों के बाद। अगर यही परम्परा चलती रही, तो आप कितने भी कठोर कानून बना दीजिए, अपराधियों का मनोबल नहीं टूटेगा।

सर, बलात्कार की और महिलाओं के ऊपर अत्याचार की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उनका एक सामाजिक दृष्टिकोण जरूर है, जैसा शिवानन्द तिवारी जी ने कहा, प्रो. राम गोपाल यादव जी ने भी कहा। उसका जवाब हमें खुद अपने भीतर ढूंढना पड़ेगा। This is a social problem of India. Prevention of sexual crimes need a social revolution. यह हम सबकी जिम्मेदारी है। जब निर्भया पर अत्याचार हुआ तो जनता सड़क पर उतरी। उस समय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि मैं भी तीन बेटियों का बाप हूं, मैं इस पीड़ा को समझ सकता हूं, लेकिन हमारी बेटियों की पीड़ा कम नहीं हुई। आज भी, जब पांच वर्ष की मासूम बच्ची पर अत्याचार हुआ, तो प्रधान मंत्री जी ने कहा, उन्होंने एक बार चिंता जताई कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक सुधार की जरूरत है। अगर सुधार की जरूरत है तो करो, आपको किसने रोका है? यह हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। ऐसी क्रूरता को रोकने के लिए सिर्फ फांसी, यानी मौत की सजा होनी चाहिए। ऐसे अपराधियों को फांसी पर लटका देना चाहिए और अपने बच्चों को बचाना चाहिए। आखिर कानून किसलिए होते हैं? देश की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए काननू होते हैं। ऐसे कानून का क्या लाभ, जिसका कोई खोफ नहीं है, जिसका कोई डर नहीं है? चाहे राजनैतिक पार्टियां हों या राजनेता हों, अपनी स्विधा के लिए वे संविधान में कई बार संशोधन करते हैं, लेकिन जब इंडियन पीनल कोड में संशोधन करने की बात आती है, तो हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। जब हमने एंटी रेप बिल के बारे में चर्चा की थी, तो सभी ने यहां मृत्यु दंड देने की बात की थी। सबने कहा था कि बलात्कारियों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अगर सरकार मृत्यु दंड नहीं देना चाहती है तो ऐसे दरिंदों को जनता के बीच छोड़ देना चाहिए, ऐसी जनभावना है-जनता उनके साथ न्याय करेगी। सर, हम इस बात को मानते हैं कि राज कानून से चलता है, देश कानून से चलता है, लेकिन आपका कानून अगर हमारी मां, बहन और बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता है तो जनता में यह भावना बढ़ रही है कि हम कानून हाथ में ले लें और अपराधियों को सजा दें। हमें मालूम है कि उससे

अराजकता फैलेगी, इसलिए सरकार को इस घटना के बाद कठोर होकर निर्णय लेना चाहिए और सिर्फ दिल्ली की बात न करके देश की बात करें तथा देश की सभी महिलाओं और बेटियों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए, इतना मैं कहना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. नजमा ए. हेपतुल्ला : सर, होम मिनिस्टर साहब कहां चले गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : वे आ रहे हैं।

डा. नजमा ए. हेपतुल्ला : सर, यह सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने वह बिल यहां पायलट किया था, तब उन्होंने बहुत से वायदे किए थे। मैं कोई टिप्पणी करने के लिए खड़ी नहीं हुई हूं, में यह स्कोर करना नहीं चाहती कि मेरी पार्टी की स्टेट में ज्यादा रेप हुए या कम रेप हुए या दूसरी पार्टी की सरकार में कम या ज्यादा रेप हुए, सवाल यह नहीं है। जब वह चर्चा हुई थी, हो सकता है कि वह चर्चा पूरे तरीके से पूरी नहीं हो पायी, सब लोग बोल नहीं पाए क्योंकि उस दिन हाउस में कुछ अलग परिस्थितियां थीं, लेकिन उस समय दो चीज़ों के ऊपर खास तौर से बात उठी थी कि आप कानून तो ला रहे हैं, कानून के साथ आपने जो वायदा किया है, पुलिस रिफॉर्म्स का, उसके बारे में मैंने खुद कहा था इसलिए मुझे याद है। मैंने मंत्री जी से पूछा था कि आप पुलिस रिफॉर्म्स कब लेकर आ रहे हैं तो मंत्री जी ने अपने जवाब में कुछ बोला नहीं था, कोई किमट नहीं किया था, उन्होंने यह कहा था कि पुलिस का भी करेंगे, उनको भी ट्रेनिंग देंगे वगैरह-वगैरह। आज जब हम अखबार में यह खबर पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि पूलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी और 2000 रुपए रिश्वत दी। सर, मुझे तो हैरत हो रही है कि इस देश में लोग पुलिस को रिश्वत देकर केस रफा-दफा कराते थे, अब पुलिस रिश्वत देकर केस रफा-दफा करा रही है, हालत यहां तक पहुंच गयी है। क्या हमारे बिल पास करने के बाद ये रिफॉर्म्स हुए हैं? जब लोगों ने आक्रोश दिखाया तो पुलिस ने एक लड़की को थप्पड़ मारा। उस लड़की के कान में से खून निकला। अगर सरकार ने सीरियसली देखा होता, पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में सोचा होता कि पुलिस इस तरह की हरकतें क्यों करती है, इसलिए कि वह दिन-रात क्रिमिनल्स से डील करती है।

वे आम गरीब आदमी को, अनपढ़ बच्चों को, औरतों को, मां-बाप को, उसी तरह का क्रिमनल समझकर, उनके साथ व्यवहार करते हैं। वे उनकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। जब कोई पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाता है, तो उसे पुलिस वाले एक कोने में बैठा देते हैं और कहते हैं कि चूप बैठो, आज रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। इस हाउस में कई सदस्यों ने इस तरह की मिसालें दी हैं। मैं सरकार से दो ही सवाल करना चाहुंगी, चाहे आप जवाब दें या मंत्री जी जवाब दें, मेरे इन सवालों का जवाब हाउस में जरूर दे दीजिएगा। हम खाली अपनी भावना ही नहीं बोलते हैं, मुझे लगता है कि सब लोग इसी बारे में सोच रहें होंगे, वे पुलिस रिफार्म के बारे में सोच रहे होंगे।

दूसरी बात यह है कि मैंने यहां एक बात उठाई थी कि जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट है, उसमें आप अमेंडमेंट लाइए। मैंने यह रिक्वेस्ट की थी कि बजट सेशन का जो दूसरा भाग होगा, उसमें आप जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट को लेकर आयेंगे और उसमें तब्दीली करेंगे,। अब हम अमेरिका की मिसाल देते हैं, यूरोप की मिसाल देते हैं, बहुत से human rights activists आ जाते हैं और कहते हैं कि यह जुवेनाइल है, यह 18 वर्ष का नहीं है, यह 18 वर्ष से कम उम्र का है, इसकी सोच कम है। मगर मैं यह समझ नहीं पाती हूं कि अगर कोई शख्स जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, वह जुवेनाइल है और वह adult जैसा क्राइम करता है, जो क्यों नहीं उसको adult की तरह पनिश करते? If somebody, under the age of 18, is capable of raping a girl child, then, he should be treated according to the same law which is

[डा. नजमा ए. हेपतुल्ला]

4.00 р.м.

applied to an adult. This is the point which I had raised in the last Session, and I am making it again here. इन दो चीजों के बारे में आप जरूर जवाब दीजिए। आप पुलिस रिफार्म के लिए क्या करने वाले हैं, उसका पूरा ब्यौरा हाउस में बताइए। उनको क्या ट्रेनिंग देने वाले हैं, क्या उनकी मानसिकता बदलेंगे। हम लोगों की मानसिकता बदलने की बात तो करेंगे, लेकिन जो लोग आपके अंडर में हैं, पब्लिक तो आपके कब्जे में है नहीं, तो आप कह सकते हैं कि हम क्या करें, हम एक-एक पर तो पुलिसमैन लगा नहीं सकते हैं, मगर पुलिस तो आपके कब्जे में है, आप पुलिस में रिफार्म करने की बात कब करेंगे? बिल पास होने के बाद से इतने दिन हो गये हैं, आपने क्या किया है, क्या आपने कोई मीटिंग ली है, क्या आपने लोगों को बुलाकर बात की है, आपकी तरफ से कोई डायरेक्शन्स गए हैं, कोई इंस्ट्रक्शन्स गए हैं, अगर गए हैं, तो आप बता दीजिए। हम कोई आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आपसे सवाल पूछना हमारा हक है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप जुवेलाइल जिस्टस ऐक्ट को अमेंडमेंट के लिए कब हाउस में लायेंगे? इसके बारे में यहां पर सदस्यों ने डिमांड की है। मैं इमोशनली दूसरी बात पर बोलूंगी, यहां मुझे इमोशन नहीं है, यहां मुझे आक्रोश है, मुझे गुस्सा है। मैं भी एक पढ़ी-लिखी, समझदार पार्लियामेंट की मेम्बर हूं, मैं बहुत सीनियर मेम्बर हूं। मगर मुझे भी इतना आक्रोश था कि अगर मेरे हाथ में पत्थर होता, तो मैं उस आदमी के मुंह पर मारती, जिसका पुलिस ने मुंह छिपा दिया था। उसका मुंह तो खुला रखना चाहिए था, ताकि लोगों को मालूम हो कि यह culprit है और उसने अपना गुनाह ऐडिमट कर लिया है। दूसरा जो केस था, उसमें बहुत समय लग रहा है। मैं लॉ मिनिस्टर साहब से एक समारोह में मिली थी, तो मैंने लॉ मिनिस्टर साहब से पूछा कि आपने 80 जजों का अप्वाइंटमेंट फास्टट्रेक कोर्ट के लिए किया है। आप इसके बारे में कोई टाइम लिमिट बताइए कि एक महीने में, दो महीने में, छह महीने में, एक साल में, दो साल में फास्टट्रेक कोर्ट में फैसला हो जायेगा। उन्होंने मुझे इधर-उधर का जवाब दिया कि अभी हम सोच रहे हैं, मैं टाइम लिमिट तो बता नहीं सकता कि क्या टाइम लिमिट होगी और हम इसको कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी करेंगे। मैंने कहा कि आप जल्दी की परिभाषा तो बताइए कि इस देश में जल्दी की परिभाषा क्या है? एक साल, दो साल, दस साल में किसी मामले पर फैसला आएगा, तो तब तक लोग उसे भूल जाते हैं। फिर तब याद आती है जब उस तरह का कोई और वाकिया होता है। ये सवाल तो मुझे आपसे करने थे।

एक सवाल हम अपने आपसे करना चाहते हैं। क्यों हमारे देश के अंदर लोगों की मानसिकता खराब है? अभी जावेद अख्तर साहब बोल रहे थे कि इसमें फिल्मों का कोई रोल नहीं है। मैं कहीं-कहीं तो जावेद अख्तर साहब की बात से सहमत हूं। कुछ फिल्में ऐसी हैं, कुछ गाने ऐसे हैं, यकीनन वे ऐसे गाने नहीं लिखेंगे। मगर कुछ लोग हैं जो ऐसे आइटम song लिखते हैं कि मुझे उन्हें बोलने में शर्म आती है, फिर भी मैं बताती हूं। एक फिल्म का गाना है, उसमें एक औरत कह रही है कि मैं हूं तंदूरी चिकन, मुझे विस्की से गटक ले। आज हम वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट में भी कोई औरत अपने को तंदूरी चिकन नहीं कहती और विस्की से गटकने की बात नहीं कहती।

आप क्या बात करते हैं कि फिल्मों में ऐसे गाने नहीं होते, फिल्मों में आइटम गाने नहीं होते, आज फिल्मों में गंदे-गंदे आइटम्स होते हैं। हम वे फिल्में टिकट लेकर देखते हैं, जिन्हें सेन्सर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट नहीं दिया होता, बिल्क उन्हें एडल्ट का सर्टिफिकेट दिया होता है, मगर आज उन फिल्मों के गाने टेलिविजन पर आते हैं। हमारे देश में टेलीविजन का रेवलुशन आया, इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी का रेवलुशन आया, ठीक है, अच्छी

Short Duration

सर, मैं आप से कहती हूं कि क्या सरकार बिल पास करवाने के लिए ही मीटिंग बुलाए, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वह औरत को बराबरी का दर्जा दे। [डा. नजमा ए. हेपतुल्ला]

में जावेद भाई की इस बात से सहमत हूं कि औरत को कमोडिटी समझा जाता है। अगर औरत को बराबरी का दर्जा दें, तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आज भी स्कूल, कॉलेज़िस के अंदर यह बात नहीं सोची जाती है। उपासभाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहती हूं कि क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह सिर्फ बिल लाने के लिए सबकी मीटिंग करें? क्या प्रधान मंत्री ने कभी लीडर ऑफ दि अपोजिशन से बात की? हमारी संसद में एक महिला लीडर ऑफ दि अपोजिशन हैं, क्या उन्होंने उनको बुलाकर बात की? यहाँ इधर भी और उधर भी जो लीगल लुमनरीज़ बैठे हैं, कभी उनको बुलाकर बात की कि हम देश में यह तब्दीली कैसे ला सकते हैं? आप बात करते हैं कि हम क्या करें? मुझे लगता है कि इतनी लाचारी दिखाना सही नहीं है। आज हमें एक सोच की जरूरत है। अगर हम देश में तब्दीली लाना चाहते हैं, लोगों की सूझ-बूझ बदलना चाहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर पार्टी लेवल से हटकर, हर तबके से उठकर इस बात पर गौर करें कि हम अपने समाज में कैसे तब्दीली लाएंगे। यह न सिर्फ अकेले आपका काम है, न सिर्फ अपोजिशन का काम है, यह इस देश के लोगों का भी काम है। हमें मिलकर, सोचकर कोई ऐसी पॉलिसी बनानी है, जिसमें महिलाओं के बारे में होलिइस्टिक अप्रोच लेना हो. पुरुषों की मानसिकता बदलने के लिए होलिस्टिक अप्रोच लेना हो। हमें उसके बारे में सोचना है। अपनी बात खत्म करते हुए मैं आपसे सिर्फ दो सवाल पूछूंगी और आप कृपया जवाब जरूर दीजिएगा। आप जवाब दे सकते हैं तो आप दे दीजिए, आपके मंत्री जी आएं, तो वे दे दें कि आप पूलिस रिफॉर्म्स में क्या कर रहे हैं? आप जुवनाइल जस्टिस में क्या कर रहे हैं? आप जब तक जुवनाइल जस्टिस ऐक्ट में चेंज नहीं करेंगे, जब तक हीनियस क्राइम के लिए हीनियस पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि तब तक लोगों के दिलों में डर और खौफ़ नहीं नहीं बैठेगा। थैंक यू।

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष जी, इस सभागार में पूरा सदन वेदना के साथ अपना आक्रोश आपके माध्यम से पूरे देश को बता रहा है। 16 दिसम्बर की जो घटना घटी, उसके बाद कानून बनाया गया, इस सदन के तहत यह कानून पास भी किया गया, लेकिन मध्यान्तर के बाद हमें यह पता नहीं था कि हमें फिर से इस विषय पर बोलना होगा। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इसी विषय के ऊपर, जिसमें क्राइम अगेंस्ट वूमेन भी नहीं, बल्कि क्राइम अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड, एक छोटी सी पाँच वर्षीय नाबालिग बच्ची, जिसको हम गुड़िया कहते हैं, इस गुड़िया के साथ जो घिनीना अत्याचार हुआ है, मैं उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हूं। मैं यह मानती हूं कि सिर्फ कानून बना देने से कुछ होने वाला नहीं है। कानून बनते हैं, समाज कानून बनाता है, यहाँ पर चर्चा भी होती है, लेकिन हम जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेंगे, तब तक समाज में ये जो घटनाएं घट रही हैं, उनको कम करने में कुछ फायदा होगा, मुझे व्यक्तिगत तीर पर ऐसा लगता नहीं है। बच्चों के ऊपर कुछ अन्याय अलिखित रूप से किए जाते हैं, कुछ अन्याय, जो दिल्ली, मुम्बई जैसी मैट्रो सिटीज़ में होते हैं, वे सामने आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के छोटे-छोटे गाँवों में जो अत्याचार होते हैं, वे तो सामने भी नहीं आते हैं। ये घटनाएं बगैर दखल दिए हुए घटती रहती हैं और लोगों के सामने उजागर भी नहीं होती हैं। मुझे लगता है, जो यहाँ बताया गया है कि हमारे देश में महिलाओं को पैदा करने में भी प्रॉब्लम है, वह सही है। उनको गर्भ में मारा जाता है, फीमेल फीटिसाइड किया जाता है, उसके बाद भी अगर लड़कियों ने जन्म ले लिया, तो आगे चलकर उसको बड़े होने और आगे बढ़ने में भी बहुत मुश्किलों का साथ निभाना पड़ता है। यह जो पाँच साल की लड़की है, गुड़िया, जिसके साथ यह घटना हुई, मेरे ख़याल से इसके बारे में पुलिस को संवदेनशील रहना चाहिए था, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर पुलिस ने वह संवेदना नहीं जताई है।

Short Duration

दूसरी बात है कि हम फियर ऑफ लॉ बोलते हैं, जिसको काननू का भय बोलते हैं, हम कानून यहाँ से, राज्य सभा से, लोक सभा से बनाते हैं, जो बाहर जाते हैं, लेकिन यदि हिंदुस्तान में कानून का भय नहीं होगा, तो में जानना चाहती हूं कि सिर्फ कानून बनाने से क्या फायदा होने वाला है? जब हम कानून के भय के बारे में सोचते हैं, जो हमेशा अरब कंट्रीज का उदाहरण सुनते हैं कि अरब कंट्रीज में ऐसा होता है कि ऐसे ही खुली दुकानें छोड़कर चले जाओ, कुछ भी चोरी नहीं होती, कुछ नहीं होता, वहाँ पर रात-दिन दुकानें खुली रहती हैं और वहाँ पर रात-दिन वूमेन फ्रेंडली एटमोरिफयर बना रहता है। मुझे लगता है कि हमारे देश में भी महिलाओं के लिए महिला फ्रेंडली व्यवस्था होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेन्सी होनी चाहिए। जहाँ पर लिफ्ट होती है, वहाँ पर गार्ड्स बिठाने चाहिए, आस पास जो लोग होते हैं, उनको पता होना चाहिए और हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अगर कहीं पर ऐसी कोई घटना घटती है तो हमें उसके अनुसार कदम बढ़ाने चाहिए और आगे आकर ये जो घिनौनी घटनाएं होती हैं. उनको सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए।

बहुत बार ऐसा होता है कि एक घटना घटती है, हम देखते हैं और आगे चले जाते हैं, लेकिन उस घटना के पीछे बहुत सारा डर छिपा रहता है, यह हमें जान लेना चाहिए।

सर, यहाँ हमारे किसी भाई ने बताया कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः' और महिलाओं के बड़े-बड़े गुणगान किए। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि न हमें पूजा घर में बिठाओ, न हमें डोरमैट पर रखो, हम आधे आकाश को व्याप्त करने वाली महिलाएँ हैं, हमारी आबादी 50 प्रतिशत है, हमें सिर्फ समानता का दर्जा दो, हमें कमोडिटी न कहते हुए महिला बन कर रहने दो, महिला समझ कर हमें जीने का अधिकार दो। जैसे अभी नजमा जी ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया है, मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहूँगी कि यह बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस विषय में पूरा देश जाग्रत हो चुका है, मेरे सहित यहाँ पर हरेक महिला हिली हुई है, हम सब बहुत परेशान हैं, बेचेन हैं। इसके ऊपर सभी महिलाओं ने आपके माध्यम से अपनी संवेदना व्यक्त की है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उन्हें सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। उस सर्वदलीय बैठक में कानून के लिए या ऐसी घटनाएँ न घटें, इसके लिए और क्या कानून बनाने चाहिए, जैसा हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है, उसके लिए आगे आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उसके अनुसार यहाँ राज्य सभा में हमने कानून बनाया, लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, ये जो घटनाएँ घटती हैं, ऐसी घटना घटने के बाद, जब महिला या लड़की के ऊपर एक बार बलात्कार होता है, ऐसी घटना के बाद पूरी जिन्दगी उस महिला के ऊपर जो साइकोलॉजिकल, मानसिक बलात्कार होते हैं, उनका जिम्मेदार कौन है. यह भी हमें देखना होगा और उसके लिए भी हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

में एक और बात कह कर अपना भाषण समाप्त करूँगी। यहाँ पर टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चर्चा हुई। मैं उसका अनुमोदन करते हुए बोलूँगी कि जब भी कोई आइटम साँग आता है, जैसा अभी बताया गया, मैं उसका अनुमोदन जरूर करूँगी कि उस पर कुछ पाबंदी लगनी चाहिए। हमारे यहाँ टेलीविजन पर म्यूजिक चैनल्स हैं, जिन पर 24×7 गाने चलते हैं। अगर हम वे गाने देखें, जो हमसे भी देखें नहीं जाते, मगर छोटे-छोटे बच्चे वे गाने देखते हैं और हमारे बच्चों के ऊपर उसका परिणाम भी होता है। ये जो घटनाएँ घटीं, अगर आप बच्चों को देखेंगे, तो वे दूसरे प्रांत से आए हुए लोग हैं, बहुत ही छोटा काम करने वाले लोग हैं, कोई वेटर है, तो कोई कुछ और काम कर रहा है। ऐसे लोग जो जिन्दगी जीते हैं, वह अलग है और जो जिन्दगी वे टीवी पर देखते हैं, वह अलग है। इस कंफ्लिक्ट में बच्चों की पर्सनैलिटी भी खराब हो जाती है। इसलिए मुझे यह भी लगता है कि हमें यहाँ पर भी प्रावधान रखना चाहिए कि इस तरह के गाने न दिखाए जाएँ और

[श्रीमती रजनी पाटिल]

मीडिया के ऊपर कुछ पाबंदी लगनी चाहिए। आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करूँगी। सर, मुझे यह लगता है कि इस विषय पर पूरा सभागृह अपनी संवेदना को एकजुट करके साथ में आया। मैं जानती हूँ कि चाहे मध्य प्रदेश में घटना घटी हो, चाहे असम में घटी हो, चाहे महाराष्ट्र में घटी हो, चाहे कहीं पर भी घटना घटी हो, लेकिन शिकार तो महिलाएँ ही हैं। महिला की न तो कोई जात है, न पात है, न कोई पार्टी है, हमें कुछ मालूम नहीं है, हमें सिर्फ यह पता है कि हमें मानव समझ कर जिन्दगी बिताने का अधिकार मिलना चाहिए और उनको यह अधिकार यह सदन प्रदान करे। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूँगी। जय हिन्द।

SHRI A.A. JINNAH (Tamil Nadu): With a very heavy heart, Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to put forth certain facts before this august House on behalf of the D.M.K. Party and on behalf of my great leader Dr. Kalaignar Karunanidhi.

It is an inhuman act. In such incidents, complaints are sometimes neglected by the Police. It is very wrong on the part of the Police. As a criminal lawyer, I feel any complaint made to the Police Station should be, first of all, accepted and, then, they should arrange for the registration of the FIR. Sir, since such kind of offences are very dangerous and sensitive, the Police should take every care in dealing with such offences. Then only, the wrong-doers, whoever they might be, would be deterred from committing such acts in future.

It is not a black mark on the girl or on the family. It is a blemish to the entire nation. We are always preached good character, good conduct, whether it is from Quran or Bible or Gita. All are preaching affectionate approach to the womenfolk. It is not a problem but a disease. Now-a-days it is spreading too much in Delhi and other parts of India. We have got great regards and respect to our womenfolk; we consider our women and children as wealth of our family. Simply finding fault with the Government or the Prime Minister is not enough. We are all here to formulate certain things and we can dictate terms also. We have to come to the conclusion. First of all, we have to take a decision on what kind of a law or activity should be followed in such situations. If the Government is not willing to perform or neglecting certain functions, then we can definitely find fault with the Government.

Sir, this is a sensitive issue. So, I say that implementation of a special Act, with a well trained team to find the truth, is very, very essential. Punishing the culprits is essential--whether it is the Verma Committee or any other committee, I do not agree. Whether one is juvenile or not a juvenile is not the thing. He has committed an offence; he is a culprit. He must be treated according to law. About the juvenile age difference

should be decided only by the courts. For that, Parliament can pass necessary legislations and, afterwards, it can change certain things. But, at the same time, the culprits will have to be dealt with in accordance with the law and they have to be punished.

Sir, the DMK wants exemplary punishment to those wrong doers of rape. Rape of children by juveniles should also be considered as equal to murder. So, they have to be dealt with in accordance with the punishment that is available to a great offence; they have to be punished severely. Thank you, Sir.

DR. ASHOK S. GANGULY (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, atrocity against women in this country is not going to be solved by debate alone. Debate is good; our concerns expressed are of importance. But, we are not going to solve the problem because attack against and rape of women are the biggest national shame for India. We have to acknowledge that. We are one of the oldest civilizations with the longest history of sexual exploitation of women. We talk about being *gulams*, servants of others. *Gulami* was thousand years old. There had to be a freedom movement under Mahatma Gandhi to get rid of foreigners.

We were a nation which suffered from hunger, many of Indians still do. We needed Green Revolution. But, the biggest known secret is the history of India in exploiting women, both publicly and privately. Incest is one of the biggest hidden shames of one of the greatest institutions—joint family. It is not talked about; it is hidden and it is widespread. I have to stand up and compliment the media, the emergence of electronic media, the emergence of various instruments which now are forcing the nation to face the shame with which it has lived for millennia.

There is an animal within the Indian male. We have to acknowledge that our nation and our people have an animal instinct which is corroding the soul of this nation. No law, no amount of legislation, no amount of chest beating is going to change that. I do not know whether we can ever destroy this animal within us in this country. I do not know what the situation in other countries is, whether it is a fundamental animal instinct in human beings. But that is not an expression of helplessness. Unless this core of shame of this country is burnt to the ground—and I am afraid this cannot be done in this House, it cannot be done by any laws—unless there is a national movement and women rise in revolt against the millennium of suppression, nothing is going to happen. This is happening every hour, every minute somewhere in India. We can blame the media, we can blame anything, but for God's sake, when we go back home, we must look ourselves in the mirror. We, Indians, are responsible for this shameful state

[Dr. Ashok S. Ganguly]

of affairs and we should not lecture to anybody else and we should not accept the lecture from anybody else either on morality.

We must hide ourselves in shame unless we resolve to destroy it for ever. Thank you.

श्री मोहम्मद अदीब (उत्तर प्रदेश): सर, आज के इस मौजू पर बोलने के लिए न तो अल्फाज़ हैं और न ही दिल में सकत है कि हम कहाँ चले गए हैं और समाज कहाँ पहुँच गया है। कहीं पर तो हम दुखी हैं और दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए यह एक तमाशा भी है।

सर, मैं तिवारी जी और येचुरी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे पास अल्फाज़ नहीं हैं कि मैं उन वाकयात को दोहराऊँ, लेकिन मैं उन वजहों पर जाना चाहता हूँ कि यह हो क्यों रहा है। यह समाज वहिशयों का क्यों बन गया है, इस पर कहीं-न-कहीं हमें बैठ कर सोचना पड़ेगा। अगर कुछ लोग यह समझते हैं कि टोपियाँ पहन कर अस्पतालों में जाकर और होम मिनिस्टर तथा प्राइम मिनिस्टर के घरों पर जाकर टेलीविजन के जरिए मदद करेंगे, तो वह मदद नहीं है। वह मसला कहीं और है। मैंने इस मुल्क में यह देखा है। मैं उस समाज में रहता हूँ। मैं गाँव का रहने वाला हूँ। मैंने गाँवों की औरतों को घूँघट में देखा है। मैंने उनके चेहरे नहीं देखे, इसलिए कि हमारी तहजीब यह कहती थी। मैं जावेद साहब की बात से इत्तिफाक नहीं करता हूँ। मैं अमेरिका या इंग्लैंड से तूलना नहीं करता, इसलिए कि वहाँ का समाज अगर नंगा हो गया है, तो हमारा समाज नंगा नहीं है। हमारे बच्चों को देहातों में आपने तालीम दे दी है। वे थोड़ी-बहुत तालीम लेकर शहरों में आते हैं। अगर तालीम के साथ तरबियत न दी जाए, तो इंसान नहीं वहशी बनाए जाते हैं। हमने अपनी तालीम में कहीं कमी रखी है। हमें सोशलॉजिस्ट्स को बिठाना चाहिए। हमें हमारी तहजीब और हमारी तारीख़ बतानी चाहिए। हमें यह बताना चाहिए कि हमारी माताओं और हमारी बहनों की क्या इज्जत है और उनका क्या मुकाम है। हमने यह सब कुछ छोड़ दिया। पैसा कमाने के जुनून ने हमें तबाह कर दिया। यह एक बुनियादी बात है। इस पर सर्वे होना चाहिए कि जितने गुनाह बच्चियों के साथ किए गए, उनमें शराब कितनी शामिल है या उनमें ड्रग कितनी शामिल है। क्या गांधी के इस मुल्क में यह फैसला नहीं हो सकता कि शराब पर पाबंदी की जाए? ये सारे जरायम मदहोश होकर पागलों के तरीके से, वहशियों के तरीके से किए जाते हैं। इस बारे में यहाँ बैठ कर सदन में सोचना चाहिए, सदन में यह बात करनी चाहिए कि शराब, नशा और वे चीजें, जिनको हमारे पुरखों ने, हमारे गांधी जी ने मना किया था, वह शराब कैसे बंद की जाए। राज्यों की सरकारें और केन्द्र की सरकार उस पर टैक्स लगाकर पैसे कमाती हैं।

दिल्ली के बाहर जाकर देखिए किसी बॉर्डर पर जाकर देखिए, वहां शराब की बोतलें बिक रही हैं और लोग वहीं वहिशयों की तरह घूम रहे हैं। वहां बहनों और बिच्चयों के लिए सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। इस पर बैठ कर सोचना चाहिए। हमारी एक बहन ने कहा था कि जूवनाइल एक्ट में तरमीम लाइए। अगर कोई शख्स बलात्कार कर सकता है, तो बलात्कार की सजा उसे मिलनी चाहिए। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट 17 या 18 साल की शिनाख्तदही नहीं करेगा। अगर उसने गुनाह किया है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए।

पुलिस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे पुलिस के बारे में कहना चाहता हूँ कि पुलिस में रिफॉर्म लाइए, पुलिस का खोफ पैदा कीजिए। आज सिस्टम यह है कि जब वह

पुलिस में भर्ती होने के लिए जाता है, तब वह रिश्वत देता है। जब वह रिश्वत देकर आता है, तो वह पुलिस के अंदर डकैती करता है। उसका रिफॉर्म होना चाहिए। अगर पुलिस का खौफ उतर जाएगा, तो फिर कोई इंसाफ नहीं हो सकता है। अदालतों में यह होना चाहिए कि अगर किसी मासूम बच्ची के साथ यह घिनौना काम होता है, तो उसकी गवाही के साथ ही अपराधी को उसी वक्त सजा देनी चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत से मजहब हैं और हर मजहब बेहतरीन है। हर बेहतरीन मज़हब में कुछ अच्छी चीजें भी हैं। जिस भी मज़हब की जो भी चीज आपको अच्छी लगे, आप उसको अपना लीजिए। अगर कोई मुजरिम है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मेरी एक बहन ने कहा कि मिडिल इस्ट में यह नहीं होता है। यह हकीकत है, मैं वहां बारह साल रहा हूँ, लेकिन मैंने वहां कोई इस तरह की वाकया नहीं सुना। उसकी वजह यह है कि वहां पुलिस को अथॉरिटी है। यहां पुलिस को अथॉरिटी नहीं है। होम मिनिस्टर क्या करेगा, कहां तक लाएगा? हम होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के घरों पर बैठ कर टोपियां लगा कर टेलीविजन के साथ एक तमाशा करें, यह शर्म का मुकाम है। इस हाउस में फैसला होना चाहिए। सारे अपोज़िशन के लीडर दानिश्वर बैठें और यह कहें कि हिन्दुस्तान के जो बेहतरीन सोशलॉजिस्ट हैं, वे इन बच्चों को तालीम दें और तालीम सिर्फ कमाने की न दी जाए, बिल्क उन्हें एक समाज बनाने की भी तालीम दी जाए, तािक इस तरह का वाकया दोबारा न हो और इस हाउस की बहस में इस तरह की दर्दनाक घटना को शामिल न करना पड़े। इन्हीं अल्फाज़ के साथ मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।

†[جناب محمد ادیب (اتر پردیش): سر، آج کے اس موضوع پر بولنے کے لئے نہ تو الفاظ ہیں اور نہ ہی دل میں سکت ہے کہ ہم کہاں چلے گئے ہیں اور سماج کہاں پہنچ گیا ہے۔ کہیں پر تو ہم دکھی ہیں اور دوسری طرف کچھہ لوگوں کے لئے یہ ایک تماشہ بھی ہے۔

سر، میں تیواری جی اور یچوری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان واقعات کو دوہراؤں، لیکن میں ان وجہوں پر جانا چاہتا ہوں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ سماج وحشیوں کا کیوں بن گیا ہے، اس پر کہیں نہ کہیں ہمیں بیٹھہ کر سوچنا پڑے گا۔ اگر کچھہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپیاں پہن کر اسپتالوں میں جاکر اور ہوم منسٹر و پرانم منسٹر کے گھروں پر جاکر تیلی۔ویژن کے ذریعے مدد کریں گے، تو وہ مدد نہیں ہے۔ وہ مسئلہ کہیں اور ہے۔ میں نے اس ملک میں دیکھا ہے۔ میں اس سماج میں رہتا ہوں۔ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میں نے گاؤں کو عورتوں کو گھونگھٹ میں دیکھا ہے۔ میں نے ان کے جہرے نہیں دیکھے، اس لئے ہماری تہذیب یہ کہتی تھی۔ میں جاوید صاحب کی

^{†[}Transliteration in Urdu Script]

بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ میں امریکہ یا انگلینڈ سے موازنہ نہیں کرتا، اس لئے کہ وہاں کا سماج اگر ننگا ہو گیا ہے، تو ہمارا سماج ننگا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو دیہاتوں میں آپ نے تعلیم دے دی ہے۔ وہ تھوڑی بہت تعلیم لے کر شہروں میں آتے ہیں۔ اگر تعلیم کے ساتھہ تربیت نہ دی جائے، تو انسان نہیں وحشی بنائے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی تعلیم میں کہیں کمی رکھی ہے۔ ہمیں سوشولوجسٹ کو بٹھانا چاہئے۔ ہمیں ہماری تہذیب اور ہماری تاریخ بتانی چاہئے۔ ہمیں یہ بتانا چاہئے کہ ہماری ماتاؤں اور ہماری بہنوں کی کیا عزّت ہے اور ان کا کیا مقام ہے۔ ہم نے یہ سب کچھہ چھوڑ دیا۔ پیسہ کمانے کے جنون نے ہمیں تباہ کر دیا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اس پر سروے ہونا چاہئے کہ جتنے گناہ بچیوں کے ساتھہ کئے گئے، ان میں شراب کتنی شامل ہے یا ان میں ڈرگس کتنی شامل ہے۔ کیا گاندھی کے اس ملک میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ شراب پر پابندی عائد کی جائے؟ یہ سارے جرائم مدبوش ہو کر، پاگلوں کے طریقے سے، وحشیوں کے طریقے سے کئے جاتے ہیں۔ اس بارے میں یہاں بیٹھہ کر سدن میں سوچنا چاہئے، سدن میں یہ بات کرنی چاہئے کہ شراب، نشہ اور وہ چیزیں، جن کو ہمارے پرکھوں نے، ہمارے گاندھی جی نے منع کیا تھا، وہ شراب کیسے بند کی جائے۔ راجیوں کی سرکاریں اور کیند کی سرکار اس پر ٹیکس لگاکر پیسے کماتی ہیں۔ دہلی کے باہر جاکر دیکھئے، کسی بارڈر پر جاکر دیکھئے، وہاں شراب کی بوتلیں بک رہی ہیں اور لوگ وہیں وحشیوں کی طرف گھوم رہے ہیں۔ وہاں بہنوں اور بچیوں کے لئے سڑکوں پر نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس پر بیٹھہ کر سوچنا چاہئے۔ ہماری ایک بہن نے کہا تھا کہ جووینائل ایکٹ میں ترمیم لائیے۔ اگر کوئی شخص بلاتکار کر سکتا ہے، تو بلاتکار کی سزا اسے ملنی چاہئے۔ ہائی اسکول کا سرٹیفکٹ 17 یا 18 سال کی شناخت دہی نہیں کرے گا۔ اگر اس نے گناہ کیا ہے، تو اسے سزا ملنی چاہئے۔

پولیس کے بارے میں، میں کہنا چاہنا ہوں، ہوم منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پولیس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس میں ریفارم لائیے، پولیس کا خوف ہیدا کیجئے۔ آج سسٹم یہ ہے کہ جب وہ پولیس میں بھرتی ہونے کے لئے جاتا ہے، تب وہ رشوت دیتا ہے۔ جب وہ رشوت دیے کر آتا ہے، تو وہ پولیس کے اندر ٹکیتی کرتا ہے۔ اس کا ریفارم ہونا چاہئے۔ اگر پولیس کا خوف اتر جائے گا، تو پھر کوئی انصاف نہیں ہو سکتا ہے۔ عدالتوں میں یہ ہونا چاہئے کہ اگر کسی معصوم بچی کے ساتھہ یہ گھناؤنا کام ہوتا ہے، تو اس کی گواہی کے ساتھہ ہی اپرادھی کو اسی وقت سزا دینی چاہئے۔ ہمارے ملک میں بہت سے مذہب ہیں اور ہر مذہب بہترین ہے۔ ہر بہترین مذہب میں کچھہ اچھی چیزیں بھی ہیں۔ جس مذہب کی، جو بھی چیز آپ کو اچھی لگے، آپ اس کو اپنا لیجئے۔ اگر کوئی مجرم ہے، تو اسے سزا ملنی چاہئے۔ میری ایک بہن نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، میں وہاں بارہ سال رہا ہوں، لیکن میں نے وہاں کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں سنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پولیس کو اتھار ٹی ہے۔ یہاں یولیس کو اتھارٹی نہیں ہے۔ ہوم منسٹر کیا کرے گا، کہاں تک لائے گا؟ ہم ہوم منسٹر یا برائم منسٹر کے گھروں بر بیٹھہ کر، ٹوبیاں لگا کر ٹیلی۔ویژن کے ساتھہ ایک تماشہ کریں، یہ شرم کا مقام ہے۔ اس ہاؤس کا فیصلہ ہونا چاہئے۔ سارے اپوزیشن کے لیڈر، دانشور بیٹھیں اور یہ کہیں کہ ہندوستان کے جو بہترین سوشولوجست ہیں، وہ ان بچوں کو تعلیم دیں اور تعلیم صرف کمانے کی نہ دی جائر، بلکہ انہیں ایک سماج بنانے کی بھی تعلیم دی جائر، تاکہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو اور اس ہاؤس کی بحث میں اس طرح کی دردناک گھٹنا کو شامل نہ کرنا پڑے۔ انہیں الفاظ کے ساتھہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دھنیواد۔]

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI (Gujarat): Sir, I stand today to condemn the brutal rape of a five-year-old child in the nation's capital. I stand today to condemn the officer who tried to buy the silence of the victim's family with Rs. 2,000/-. But I also condemn those in positions of power who turned away from the victim's family when help and support was needed. I am told through certain media reports that when the NCW Chairperson was asked कि आप विकटम से या विकटम के परिवार से मिलने जा रहे हैं, तो जवाब शायद यह आया कि आज ऑफिस बंद है, हम सोमवार को देखेंगे। बरेली में एक ऐसी घटना सामने आई, जिसमें एक गरीब महिला जिसका बलात्कार होता है, जब वह पुलिस स्टेशन जाती है और दरोगा से कहती है कि मुझे एफआईआर दर्ज करनी है, तो उसे पुलिस स्टेशन में कहा जाता है कि दो दिन बाद आना। सदन में दिल्ली की मुख्य मंत्री का उल्लेख हुआ है, दिल्ली की मुख्य मंत्री ने दिसम्बर के महीने में जब निर्भया का बलात्कार हुआ था, तब सरेआम यह कहा थ कि मैं असहाय हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन दिल्ली की मुख्य मंत्री ने जनता को यह नहीं बताया था कि जब धूलीचंद नाम के एक रेपिस्ट की बेल के लिए गुहार लगानी थी, तब दिल्ली पुलिस के निर्देशन और उनके सुझाव के विपरीत जाकर उन्होंने एक बलात्कारी का बेल मांगने के लिए अपील की थी। When people in establishment give such mixed responses to those who are in need, outrage pours out on the streets of India. Today, I not only condemn all these people, Sir, but I also condemn that police officer who delayed in filing the FIR. I also condemn that police officer who had the responsibility of investigating the case of a missing child.

हम एक सशक्त देश होने का दंभ भरते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि देश की राजधानी में एक बच्ची अपने मोहल्ले में तीन दिन तक बलात्कार का शिकार होती है और दिल्ली पुलिस मोहल्ले में पांच साल की लड़की को ढूंढ़ नहीं पाती है। सर, आज यहाँ गृह मंत्री जी बैठे हैं, I want to say, Sir, that when the Protection of Children from Sexual Offences Bill was discussed in this very House, I had appealed to the Government of India कि हम अगर वाकई में चाहते हैं कि लॉ पेपर तक लिमिटेड न रहे, लॉ को बड़ी ही सख्ती से हम इम्प्लिमेंट करें, तो एक मेकनिज्म डिवाइस करें, जिसके माध्यम से लॉ को इम्प्लिमेंट करने में मदद हो सके।

मेरा बड़ा छोटा-सा निवेदन था that most of these culprits who are caught in rapes of women and children have a violent history, be it in the case of that rape which happened in December or in the case of this five-year old child. Can we devise a mechanism whereby there is a data-base of those people who are chargesheeted, reported to have done a violent act against women and children who are convicted of such crime and this data-base is accessible by every police station in the country so that when a criminal moves from one *thana* area to another, at least, policemen in that area have that kind of data to fall back on for investigation?

Sir, I had made another request. Do we do performance-audit of policemen in our country wherein we can find out how many cases that were entrusted upon them have been solved within a given time-frame, within a given time-period, and how many such women and children have been rescued? Has that performance-audit ever been done?

Sir, there has been a suggestion given that CCTVs should be put up in every police station so that if a police officer indulges in dereliction of duty, he can be exposed and also action taken against him. Have we done anything on that suggestion placed before us?

My request to you, Sir, today is this. राम गोपाल यादव जी जब कन्या पूजन के बारे में यहाँ बोल रहे थे, तब मैं सोच रही थी कि जिस दिन यह घटना सामने आयी, उस दिन पूरा देश अष्टमी का त्योहार मना रहा था। उस दिन हम बेटियों के पैर को धोकर पूजन कर रहे थे, लेकिन आज किसी ने सदन में कहा कि अगर देवी के रूप में महिला को पूजते हो, तो आप एक मॉडर्न इंडिया का दर्पण नहीं देते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से कहाना चाहूँगी कि एक मॉडर्न, लिबरल, एजुकेटिड, टेक-सेवी इंडिया ने ट्वीटर और फेसबुक के माध्यम से हनी सिंह नाम के एक रैपर के गुड़गांव में होने वाले न्यू ईयर के कंसर्ट को केंसल करवाया। क्योंकि मॉर्डन, लिबरल, एजुकेटिड, टेक-सेवी इंडियंस को लगा कि अगर किसी लिरिक्स के माध्यम से महिला की तौहीन होती है, अगर किसी गाने के माध्यम से आप वायलेंस अगेन्स्ट वीमेन को प्रपोगेट करते हैं, तो मॉर्डर्न, एजुकेटिड, लिबरल इंडियंस ने कहा कि हम टेक्नॉलजी के माध्यम से ऐसा पब्लिक प्रेशर क्रिएट करेंगे कि ऐसे गीतों को और ऐसे कंसट्र्स को हम होने नहीं देंगे।

आज यहाँ पर कहा गया कि देखों, मुम्बई कितनी लिबरल है। लेकिन सर, मुम्बई का एक घिनौना सच यह भी है कि साउथ मुम्बई, where the elite, the educated, the powerful of Mumbai reside, वहाँ पर सबसे ज्यादा फीमेल फेटिसाइड के केस होते हैं। That is the irony of our country.

सर, यहाँ पर शिवानन्द तिवारी जी ने और राम गोपाल यादव जी ने पॉर्नोग्राफिक मैटीरियल का उल्लेख किया। Under the law, sale, exhibition, exchange of pornographic material is illegal. We never hear of raids conducted by Police. आप पालिका बाजार की बात करते हैं, आज आप मुम्बई के किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर जाकर देख लीजिए, वहाँ पान की दुकान के साथ या रेलवे स्टेशन के बाहर चादर लगा कर ऐसी सीडीयाँ बेची जाती हैं। ऐसी कितनी एस्टैबलिशमेंट्स पर रेड हुई है यह भी चर्चा का विषय होना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि वायलेंस अगेन्स्ट वीमेन के साथ पॉर्नोग्राफी का इतना लेना-देना नहीं है, उनसे मैं यह कहना चाहती हूँ that irrespective of exhibition of pornographic material or sale or exchange of this material being illegal under the Constitution of India, India now has become the third largest consumer of pornographic material in the world! When did that happen?

आदरणीय सर, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को आज याद दिलाना चाहता हूँ कि to invoke the mercy of the agitators in December, many people in the Government had said कि हमारी भी बेटी है, इसलिए हम भी बेटियों के परिवारों का दु:ख समझते हैं। सर, मैं भी एक नौ साल की बच्ची की माँ हूँ, लेकिन आज मैं एक माँ के नाते बात नहीं कर रही हूँ, मैं आज एक एमपी के नाते भी बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं आज हरेक उस हिन्दुस्तानी का उल्लेख कर रही हूँ जिसके पास यह प्रिविलेज नहीं है कि वह इस हाउस में सर्व करे। आज वह हिन्दुस्तानी खोफ में घर पर बैठा है। मुझ जैसी कामकाजी महिला, जो अपनी बच्चों को मुम्बई में छोड़ कर दिल्ली आती है, जब तक मैं हाउस से बाहर जाकर उनको फोन करके पूछ नहीं

[Shrimati Smriti Zubin Irani]

लेती कि बेटी, घर आयी हो कि नहीं, तब तक में भी यहाँ विचलित होकर बैठती हूँ। वे माताएँ भी विचलित होकर घर बैठती हैं, जो हाउस वाइव्स हैं। उन्हें चिन्ता है कि उनकी बेटी स्कूल या कॉलेज से सुरक्षित घर लोटेगी या नहीं? आज हर वह हिन्दुस्तानी, जो एमपी नहीं है, वह पूछ रहा है कि क्या उनके बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगी? क्या उनको यह प्रिविलेज मिलेगा, तािक वे इस देश में बेखीफ जी सकें कि हमारे बच्चे जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं।

यूपीए की चयेरपर्सन ने कहा था, time has now come for action. हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो कम से कम आप सोनिया जी की सुन लीजिए। यह घटना 18 तारीख को सबके सामने आयी, तब से लेकर आज तक ऑल पार्टी मीटिंग कन्वीन नहीं हुई है।

चाहें हम हों या सीतराम येचुरी जी हों, सबने कहा है, बुलाइए मीटिंग और हम सब एक स्वर में बोलेंगे कि अगर बच्ची का बलात्कार करते हो तो इस देश में सज्जा-ए-मौत होगी। हां, मैं जानती हूं हमारे कोर्ट choked up हैं कि आज 13 जजेज पर-मिलयन की जगह 50 जजेज पर-मिलयन की जरूरत है। मैं यह भी जानती हूं कि आज forensic labs के लिए हमने 2012-13 में मात्र 11 करोड़ का ही आर्थिक आबंटन किया है। मैं यह भी जानती हूं कि स्टेट गनर्वमेंट ने बार-बार कहा है कि हम फास्ट ट्रेक कोर्ट हर जिले में चलाना चाहते हैं। तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि उनकी आर्थिक सहायता के लिए हम सबने मिलकर केन्द्र के माध्यम से कितनी सहायता भेजी है। ये कितने प्रश्न हैं जिन पर चर्चा की जरूरत है, साथ ही उस अमेंडमेंट की जरूरत है, जो यह खौफ तथा कम से कम यह संदेश पूरे देश को दे कि अगर पांच साल की बच्ची का बलात्कार होता है तो चुपचाप बैठकर यह हाऊस तमाशा नहीं देखेगा। सर, अगले 24 घंटे तक अगर आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो फिर your stand that you are aggrieved and pained, not only as a parent but also as the Home Minister of India, will stand exposed. Today, not only as a Member of Parliament, forget that, but as a mother, I appeal to you, please call for that meeting so that the Indian polity, in a united voice, can tell the people of India that we will not fail you.

Thank you, Sir.

प्रो. अलका क्षित्रिय (गुजरात) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। आज मैं इस देश की कोई मां, बहन, बेटी की तरफ से बोलने के लिए हाऊस में खड़ी नहीं हुई हूं, बिल्क इस देश की 50 प्रतिशत आबादी की तरफ से इस हाऊस में उनका जो हक है, उनकी बात करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं पूछना चाहती हूं कि उन बहनों को, उस 50 प्रतिशत आबादी को जीने का कोई हक नहीं है? हम उनको देवी मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं लेकिन उसको गर्भ में ही मार देते हैं। पैदा होने के बाद हम उसको जीने का हक भी नहीं देते हैं और बात हम देवी की कर रहे हैं। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। हकीकत यह है कि अब आत्म-विश्लेषण करने का समय आ चुका है कि ऐसी घटनाएं समाज में, इस देश में क्या हो रही हैं? यह न सिर्फ एक दिल्ली का सवाल है, न सिर्फ हमारे गुजरात का या मध्य प्रदेश का सवाल है, यह न हरियाणा का सवाल है और न किसी और स्टेट का सवाल है, लेकिन अब हर रोज उस भारतीय के लिए सोचने का वक्त आ गया है कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से हमें इसको सोचना होगा। हमारे समाज में, देश में जो बदलाव आए हैं, जैसे अभी कहा गया कि उपभोक्तावाद की जो नई बहार आ गई है, उसकी वजह से यह हो रहा है, जरूर उसमें इसका असर भी है। लेकिन साथ में हमें दूसरी बातें भी सोचनी

पड़ेंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी एक साइक्लॉजिस्ट से मेरी बात हुई कि ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं उसके पीछे आप लोगों की क्या सोच है? उन्होंने मुझे कुछ बातें बताईं। एक तो यह है कि हमारे यहां लड़के और लड़िकयों के जन्म के अनुपात में जो अंतर है, वह एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि काफी सारे लड़के ऐसे हैं जिनकी शादी की उम्र हो जाती है लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हम उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तथा जो जहां का रहने वाला है उसको वहां पर नौकरी नहीं मिल पा रही है इसलिए काम की तलाश में वह अपना गांव, शहर, अपनी फेमिली छोड़कर दूसरी जगह पर कमाने के लिए जा रहा है, इस वजह से भी कुछ घटनाएं हो रही हैं। साथ ही इनमें टी.वी. और मीडिया का असर भी सबसे ज्यादा है। मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ केंडल मार्च निकालने से या ट्विटर पर ट्विट करने से या ये टी.वी. के कलाकार या उससे जुड़े लोग अपना सामाजिक दायित्व पूरा हो गया, समझ लेते हैं, जबिक उनको यह सोचना पड़ेगा कि वे ऐसी स्टोरी न लिखें, ऐसे गाने न लिखें, उसमें कोई ऐसा ऐक्ट न करें, तब जाकर वे अपना सामाजिक दायित्व पूरा कर सकते हैं। सिर्फ बातें करने से कोई अपना सामाजिक दायित्व पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आज इस हाऊस में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हम सब अपने-अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने राज्य की उस आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि जो इस देश की आधी आबादी से बनकर होती है और इसी वजह से हम सब को इस बात के लिए सोचना होगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। इसके लिए हमें कुछ बदलाव करने चाहिए। मैं सबसे पहले सरकार से यह कहना चाहूंगी कि सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर कानून में बदलाव लाने चाहिएं।

आप इसके लिए सख्त-से-सख्त काननू बनाएं और अगर जरूरत पड़े, सभी को लगे कि फांसी से यह मसला हल हो सकता है तो फांसी की सजा का प्रावधान करें। लेकिन क्या फांसी इस समस्या का एक मात्र हल है? अगर यह सच है, तो हत्या करने पर अपराधियों को फांसी की सजा होती है, लेकिन आज भी देश में हत्याएं कम नहीं हुई हैं। इसलिए हमें काननू बनाते समय और तरीकों पर भी विचार करना पड़ेगा। सर, मुझे लगता है कि कैमिकल कास्ट्रेशन के बारे में भी सोचने का अब समय आ गया है। दुनिया के दूसरे देशों में भी इस तरीके पर सोचा जा रहा है और काम भी किया जा रहा है। इसलिए हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात, सैक्सुअल ऑफंडर का एक रजिस्टर बनाया जाना चाहिए और हरेक थाने में उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। साथ ही, हमें इस रिकॉर्ड को ऑन-लाइन करना चाहिए तािक जब भी कोई ऐसा ऑफंडर मकान किराए पर लेने जाए तो मकान मालिक उसकी पहचान कर सके।

सर, मैं एक सवाल खाप पंचायतों से भी करना चाहती हूं। यहां खाप पंचायतों की बात बहुत बार उठी है। जब कोई सगोत्र शादी होती है तो खाप पंचायतें सक्रिय हो जाती हैं और वे लड़के-लड़की को मौत की नींद सुला देते हैं। तो क्या खाप पंचायत इस विषय में नहीं सोच सकती? आज जब ऐसे घृणित कार्य हो रहे हैं, तो खाप पंचायतें चुप क्यों हैं? आज ऐसे घृणित कार्य हरियाणा में भी हो रहे हैं, यू.पी. में भी हो रहे हैं, गुजरात में भी हो रहे हैं। मुझे अपने गुजरात की सूरत की वह घटना याद आती है, जब एक ट्यूशन पर जाने वाली लड़की को उठाकर, उसे सिगरेट से दाग दिया जाता है, उसकी सी.डी. बनायी जाती है और एसएमस/एमएमएस के जरिए पूरे देश में उसे दिखाया जाता है। वह लड़की तिल-तिलकर मरती है। आप अपराधी को एक बार फांसी दे देते हो और वह अपराधी मर जाता है, लेकिन वह लड़की तिल-तिलकर मरती है। इसलिए क्या हमें कोई ऐसा रास्ता नहीं सोचना चाहिए कि उस अपराधी को भी ऐसी सजा मिले कि वह भी पूरी जिंदगी अपना अपराध न भूल पाए और तिल-तिलकर मरता रहे। तब जाकर उसे मालूम पड़ेगा कि उसने कैसा घृणित कार्य किया है।

[प्रो. अलका क्षत्रिय]

हमें स्कूलों में भी जेंडर इक्विलिटी की बात बच्चों को पढ़ानी चाहिए। आज जेंडर इक्विलिटी की हम लोग बात जरूर करते हैं, लेकिन बच्चों को बचपन से जेंडर इक्विलिटी की बात बतानी चाहिए। यहां फास्ट ट्रैक कौट्र्स की बात हुई है। ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोट्र्स बनाए जाने चाहिए और जल्द-से-जल्द फैसला होना चाहिए। सर, जुवैनाइल क्रिमिनल्स की भी बात हुई है। मैं भी उससे सहमत हूं कि अगर कोई जुवैनाइल ऐसा काम करता है, रेप कर सकता है, तो रेपिस्ट के लिए जो कानून है, उसे उसके तहत सजा क्यों नहीं हो सकती? सरकार को कानून में इस तरह के बदलाव भी लाने चाहिए, लेकिन आज सबसे बड़ी जरूरत सरकार और समाज को मिलकर ऐसी सोच में बदलाव लाने की है। जब तक हम बच्चों को यह पाठ नहीं पढ़ाएंगे, बचपन से उनमें ये आदतें नहीं डालेंगे, उनकी सोच पर हम ध्यान केन्द्रित नहीं करेंगे, तब तक देश में ऐसे घृणित अपराध होते रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब को मिलकर ऐसे कार्य करने होंगे जिससे आने वाले समय में इस तरह के घृणित अपराध न होने पाएं।

आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Sir, I stand here to condemn all the incidents and all the atrocities against women and children taking place in every part of the country—it may be Delhi or it may be Assam. Wherever this type of incident took place, I strongly condemn it. Atrocities against women and children are a matter of national shame.

Today, we are discussing this issue. It pains my heart. I remember that in the first part of the Budget Session, we had discussed the same issue. Today, we are discussing the same issue again. What happened in Delhi on 16th December is known to everyone. On 9th April and 15th April, such incidents repeated again in Delhi. Atrocities were committed on a five-year old child in Delhi. It is not only a national crime; it is the worst crime by any human being in the country.

Sir, Delhi is the National Capital of the country. So, what happens in Delhi immediately gets the national attention. But, there are certain other parts of the country where many such disturbing incidents are happening, but they do not get the national attention, nor do they get importance and attention from the Central Government.

Sir, rape is a crime, be it in Delhi or in Assam. I strongly condemn the incident that happened in Delhi. But, simultaneously, the country should think, the leaders should think, the Government should think as to what is happening in other parts of the country also. Sir, I would like to give a few examples. I come from Assam. This type of worst incident happened in Assam also, but it did not get the national attention nor did the attention of the Minister or other leaders. Sir, it is known to everybody that Assam celebrates the *Bihu* festival on 15th April. On 15th April, during night time, a

nine-year old girl was kidnapped from her home in the Gohpur sub-division of Sonitpur District of Assam. That place is known as Bihali. A nine-year old Adivasi girl was kidnapped and she was gang raped. Today, in Assam, another nine-year old girl was gang raped and she is in very critical condition today. She has been admitted in the hospital in Silchar. This incident of gang rape of a nine-year old girl in Assam is not getting the national attention. So, I would like to request the hon. Home Minister, leaders of all the political parties present here and each and every Member of Parliament to give equal importance, as is given to incidents taking place in Delhi, to other parts of the country as well because rape is rape. It may be Assam or any other part of the country. Rape is a national shame. So, it is the duty of the Government to give equal importance to the entire country. Sir, today, a nine-year old girl was gang raped in Silchar and her condition is very critical. She is crying for better medical treatment. I would like to request the hon. Home Minister and I would like to draw the attention of the House that immediate action should be taken against the culprit. Secondly, the Government should immediately do something to save the life of this innocent girl who is crying for better medical treatment. I request the Government to kindly send a special medical team to Silchar, Assam, to save the life of this girl, or, the Government can bring the girl to Delhi through air ambulance for better medical treatment. Sir, everybody should get equal treatment. If somebody is a victim in Delhi, she will get a better treatment. If somebody in Assam needs treatment, she should also get the equal importance. So, I would like to request the Home Minister that if necessary, the girl should be brought here through air ambulance. And, we want the strongest action against the culprit. I remember that after the Delhi incident in the month of December, we discussed this issue in the House. At that time, we categorically told the Government that capital punishment is the only option to stop these people. So, in this regard, I would like to request the Government to take the strongest action. The law has already been amended. Even after passing of this amended Act, these types of incidents have occurred in Delhi, Silchar and Bihali in Assam. So, I would like to request that, if necessary, the Government should amend the Act further and we will give all the support to curb such incidents. The Government has to bring the strongest Bill and introduce capital punishment for the culprits.

Now, again, on behalf of the entire House, I request each and every Member, including the Home Minister, to give equal importance to the Assam victim also. Kindly send a special medical team to rescue the life of the girl, and, if necessary, the Government should send an air ambulance to bring the girl to Delhi for better treatment. The Government should, if necessary, send a high-level team to the area to catch the culprit. Otherwise, this type of activity may take place again. What happens is, after the incident happens, we discuss the issue and then forget. Today, we are discussing

[Shri Birendra Prasad Baishya]

the issue because the incident took place in Delhi. But after a few days, everybody will forget the issue. So, Sir, this is the time when the country should think of bringing a new law. If the Government introduces the new law, my party will give full support to the Government on this issue, Sir. I hope the hon. Home Minister will take serious action on this issue. Thank you very much.

SHRI M. RAMA JOIS (Karnataka): Thank you Mr. Vice-Chairman for having given me the opportunity to speak on this all-important issue. The problem has become so acute in this country. It is very unfortunate that after six decades after independence, we are facing this situation. In our culture, the woman was treated as a divine treasure. But, unfortunately, on account of recent trend, the woman is treated only as a sexual pleasure. That is the reason for all that is happening. Under article 39 of the Constitution, there is a specific directive to the State to take effective steps to prevent moral and material abandonment of children and youth, but that has not been done. On the other hand, article 47 of the Constitution provides for abolition of manufacture and sale of liquor, but that has not been done, and liquor and sexual offences are intimately connected. In our culture, we consider mother equal to God, मातृ देवो भव:, and every woman is equal to mother. This is our basic cultural value. That is why for every name in Karnataka, we use the word 'अम्मा'. Our culture never says to treat every man as father, but it says to treat every woman as mother. The reason is, once we consider that every woman is mother, there will be psychological impotency and the mind will not permit him to make an onslaught on a woman. But, unfortunately, that has not been taught at all. The Supreme Court has taken note of this. It has said in the Aruna Roy's case that because you have given only information-oriented education, you will get only the doctors or the lawyers or the professionals, but you are not creating men of character who will be useful to the society. So, because of the acts of omission and commission on the part of the Government for these six decades, we have reached this position. In fact, human being has got a higher attribute. Centuries back हितोपदेश said:

> आहार-निद्रा-भय-मैथुनं च समानवेतत्पशुभिर्नराणाम्। धर्माहि तेषामधिको विशेषो धर्मेणहीनाः नरः पशुभिः समानाः।।

Taking food, sleep, fear and sex are the four common qualities between the man and the animal. But the higher attribute of the man is, he should follow the rule of *dharma*. But, unfortunately, that is not at all taught. When I say 'dharma', it is likely to be misunderstood as religion. I have written a book on dharma and the Supreme Court of India has said that it is the correct interpretation of dharma.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

Dharma means righteous code of conduct. Unfortunately, righteous code of conduct is not there.

The present situation is total degradation of moral values which has taken place. Womanhood is regarded as most sacrosanct in our culture. We perform *Kanya puja*. Even the young girls before puberty are worshipped like goddesses. That is our culture. Unfortunately, *Indriya Nigraha* is one of the most important. Dharma rule or which doesn't mean religion. अहिंसा सत्यं अस्तेयं शोचं इंद्रियनिग्रह: The five qualities are: non-violence, non-acquiring illegal property, cleanliness in thought, word and deed, and last is control of senses. Now, control of senses is not at all taught in the educational institutions. Swami Vivekananda said, "Give man-making character building education." But what our Government is giving is money making character losing education. Only money making education is given. But good human beings are not being created. This is what I am trying to say. This is what the Supreme Court also has said. Further, there is no fear of law. Earlier there was fear of law, fear of dharma. Now, neither is there fear of God nor is fear of law. They are quite sure if any case is filed against them, they will be ultimately acquitted.

About 20 years back, I had presided over a conference on Human Rights in Bangalore. Approximately 30 Judges came from all over the world. There it was reported as far as rape cases were concerned, only 40 or 50 per cent of the cases are reported because trial of rape cases in court should be in camera, if it is not in camera, then, it is wors than the rape itself. Fear of the law is also not there. Neither article 39 nor article 47 has been implemented.

Regarding liquor, it is intimately connected with sexual offences. Unfortunately, I must say, in Bangalore there is a road called Mahatma Gandhi Road, where a large number of liquor shops are located on this road, "बान में गांधी, हाथ में ब्रांडी". That is the situation that has arisen. Most of these offences are committed by liquor consuming persons. There is no greater offence than immoral sex. But, unfortunately, what has happened is that even five-year or seven-year old girls are being raped. I think, those who are committing these crimes can't be considered as human beings at all. Some people raise human rights violations. What sort of human rights can they have? (*Timebell rings*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, one second. I want to take the sense of the House. There are a number of speakers also. So, it is going to be 5 o'clock. Shall we continue with the debate today, or, postpone it to tomorrow?

कुछ माननीय सदस्य : सर, कल करेंगे।

श्रीमती माया सिंह: सर, बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं, ग्यारह के करीब स्पीकर्स और हैं, तो अब कल करेंगे।

 $MR.\,DEPUTY\,CHAIRMAN$: That means, Mr. Rama Jois, take one more minute, then, we will adjourn.

SHRI M. RAMA JOIS: Then, I will continue my speech tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have one more minute. ...(*Interruptions*)... You have one more minute.

SHRI M. RAMA JOIS: I will continue my speech tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, in one minute, you conclude your speech.

SHRIM. RAMA JOIS: Why will I conclude in one minute? I will formulate my points and conclude tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How many minutes you have already spoken?

SHRI M. RAMA JOIS: It may be just three or four minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Then, you can continue your speech tomorrow. The House is adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

The House then adjourned at fifty-nine minutes past four of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 23rd April, 2013.